प्रबन्ध समिति

प्रो. एस. एम. पटनायक	प्रो. जया त्यागी	डॉ. वीणा गौतम
अध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	प्राचार्या

दाखिला समिति 2015-2016

सह-संयोजक	श्रीमती गीतांजली डे
	श्रीमती राजश्री रॉय
	डॉ. गुनीत भाटिया
सदस्य	डॉ. निर्मल शाहिद
	डॉ. कृष्णा चौधरी
	डॉ. अनीता मल्होत्रा
पाठ्यक्रम	**दाखिला प्रभारी**
वाणिज्य	डॉ. टी. के. जानकी
अर्थशास्त्र	सुश्री सोनिका सिंघी
अंग्रेजी	श्रीमती अंजु दहिया
हिन्दी	डॉ. नीलम
इतिहास	श्री रमाथोट खांग्रीवो
गणित	सुश्री चित्रा शर्मा
दर्शनशास्त्र	डॉ. जया रे
राजनीति विज्ञान	डॉ. सोनिया डबास
संस्कृत	डॉ. डोलामणि आर्या
खेल-जगत	डॉ. सुनीता अरोड़ा
	लेफ्टिनेंट (डॉ.) सीमा कौशिक
	डॉ. गायत्री
	डॉ. रंजीत कौर
	डॉ. निर्मल शाहिद
शिकायत निवारक समिति	डॉ. गीता सहारे - 9811720101
	डॉ. बीना. आर. गुप्ता - 9910207659
	डॉ. मधु झा - 9818008125
अनुसूचित जाति/जनजाति समिति	डॉ. सुमन सोनकर दहिया
	डॉ. एम.पी. यादव
नोडल ऑफिसर	डॉ. गायत्री वर्मा
ईसीए	डॉ. कृष्णा चौधरी
महिला सहायता नम्बर	181, 132, 1091

विषय-सूची

		पेज नं.
1.	प्रबन्ध समिति एवं दाखिला समिति 2015-2016	1
2.	महाविद्यालय के विषय में	3
3.	निर्धारित दाखिला सीटें	5
4.	दाखिला अनुसूची : अकादमिक सत्र 2015-16	6
5.	दाखिला संबंधी दिल्ली विश्वविद्यालय के मार्गदर्शी सिद्धांत	7
6.	खेल के आधार पर दाखिला	10
7.	ईसीए के आधार पर दाखिला	11
8.	दाखिला प्रक्रिया	12
9.	'बेस्ट ऑफ फोर' की गणना	13
10.	आवश्यक दस्तावेजों की सूची	14
11.	दाखिला संबंधी आरक्षण	15
12.	वार्षिक दाखिला शुल्क (सेमेस्टर-I और II) का विस्तृत ब्यौरा...	16
13.	अकादमी कलेंडर 2015-16	18
14.	दाखिले के पश्चात्	19
15.	सुविधाएं	20
16.	वित्तीय सहायता	22
17.	सह-पाठ्यक्रम गतिविधियाँ	22
18.	छात्र निकाय	23
19.	विभागीय संगठन और समितियां	24
20.	नियम और विनियम	27
21.	सेमेस्टर स्कीम में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए पदोन्नति नियम	29
22.	पिछले वर्ष की कट-ऑफ (2014-15)	30
23.	शिक्षकगण सूची	31
24.	प्रशासनिक कर्मचारी सूची	35

महाविद्यालय के विषय में....

'लक्ष्मीबाई महाविद्यालय' दिल्ली विश्वविद्यालय का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसकी स्थापना 1965 में लडकियों की शिक्षा हेतु तीमारपुर क्षेत्र के छोटे से स्कूल-भवन में हुई थी। जहां से 1972 में ही अशोक विहार जैसे प्रतिष्ठित क्षेत्र के भवन में अपने पंख फैलाने के लिए प्रवेश किया।

अपने राष्ट्र के गौरवपूर्ण इतिहास को खंगालने पर स्वतंत्रता की मशाल प्रज्वलित करने वाली एक वीरांगना लक्ष्मीबाई का नाम धारण कर यह महाविद्यालय दिन दूनी राज चौगुनी गति से आकाश की ऊंचाईयां नापने लगा। महाविद्यालय के परिसर में लक्ष्मीबाई की जीवन्त प्रतिमा स्थापित है। महाद्यिालय के पास सुसज्जित भवन, विशाल वाटिकाएं, खेल-मैदान और कुछ स्टाफ क्वार्टर हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यह दिल्ली विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर से थोड़ी दूरी पर है। यह महाविद्यालय परम्परागत परिवारों की बेटियों का प्रथम विकल्प है।

दो वातानुकूलित व्याख्यान मंच, एक खूबसूरत-सुसज्जित संगोष्ठी कक्ष, एक आधुनिक कम्प्यूटराइज पुस्तकालय, दो अच्छे कम्प्यूटर लैब, एक क्रियाशील नियोजन प्रकोष्ठ और अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं महाविद्यालय में है। यह दिल्ली विश्वविद्यालय में अब तक के प्राय: सबसे तीव्रतापूर्ण अपटुडेट संस्थाओं में से एक है।

महाविद्यालय को अपने संकाय की अकादमिक प्रतिबद्धता पर गर्व है। सौहार्द्रपूर्ण शैक्षणिक लोकाचार और विभिन्न समसामयिक चर्चाओं-परिचर्चाओं के द्वारा महाविद्यालय विद्यार्थियों में राजनीति की गहरी चेतना का बीजबपन करता आया है साथ ही लगातार भेदभाव और उत्पीड़न विहीन समुदाय के निर्माण के लिए प्रेरित रहा है। छात्राओं की रचनात्मकता साक्षी है कि शिक्षकगण के निर्देशन में विभिन्न समितियों एवं संगठनों द्वारा व्यापक स्तर पर सह-पाठ्यक्रम और पाठ्येत्तर गतिविधियां आयोजित की जाती हैं।

शैक्षणिक सत्र 2014-15 महाविद्यालय का स्वर्ण जयंती वर्ष का रहा है। इस वर्ष महाविद्यालय के प्रशासनिक विभाग और स्वर्ण जयंती समिति के सहयोग से विभिन्न विभागों एवं समितियों के द्वारा बहुविध राष्ट्रीय-अंतराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय संगोष्ठियां, परियोजनाएं, कार्यशालाएं, सिम्पोजियम और सामूहिक परिचर्चाएं कार्यक्रम आयोजित किया गया। महाविद्यालय द्वारा आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्द्धन जी की गरिमामय उपस्थिति से महाविद्यालय के फलक को समझा जा सकता है। लड़कियों की सुरक्षा के लिए महाविद्यालय के द्वारा दिल्ली पुलिस की सहायता से 'हिम्मत' कार्यक्रम चलाया जाता है जो कि छात्राओं को स्वयं सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित करता है। इस वर्ष विभिन्न विभागों और समितियों के जिन अकादमिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है वह है, वूमन डेवल्पमेंट सेंटर एजेंडरिंग स्टेट एंड सोसायटी इन इंडिया: इनक्वारिज फ्रॉम अ फेनिंस्ट पर्सपेक्टिव, हिंदी विभाग द्वारा समकालीन साहित्य में नारी चेतना, एनेबलिंग यूनिट फॉर डिफरेंट एबलेड एंड सोसायटी ऑन एफमैंटिव एक्शन के द्वारा डिसक्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसएबिलिटिज, कॉर्पोरेट गर्वनेंश : पर्सपेक्टिवस एंड प्रैक्टिस, गणित विभाग द्वारा ऑपटिमाईजेशन एंड इटस एपलिकेशनस, फूड एंड टेक्नोलॉजी द्वारा फूड एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री-एमर्जिंग ट्रेंड एंड पर्सपेक्टिवस, साथ ही भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के सहयोग से हिंदी विभाग द्वारा 'स्त्री विमर्श: कल, आज और कल' विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गयी। इसी के साथ महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर विभिन्न महापुरुषों के जीवन पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। महाविद्यालय के विभिन्न विभाग के शिक्षकों द्वारा विभिन्न शोध संधान और शोध-पत्र का प्रकाशन व वाचन महाविद्यालय के अकादमिक उत्कृष्टता को देश-विदेश में रोशन करता है।

कॉलेज महाविद्यालय के खेल विंग प्रतियोगिता के विभिन्न स्तरों पर ख्याति प्राप्त की है। वर्ष 2014-15 में जीवंत और ऊर्जावान राष्ट्रीय कैडेट कोर विंग ने हर वर्ष की भांति नई उचाइयों को छुआ है। महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) समाज में विशेषाधिकार प्राप्त शारीरिक और नेत्रहीन वर्गों तक पहुंच कर समर्पित भाव से सामुदायिक सेवा के माध्यम से जबर्दस्त प्रशंसा प्राप्त की है। महाविद्यालय का अकादमिक परिणाम भी उल्लेखनीय रहा है। हमारी छात्राएं कई अच्छे संगठनों में ऊंचे पदों पर काम कर रही हैं। महाविद्यालय सही मायने में महिला सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ रहा है।

50 वर्ष के इतिहास में हमें गर्व और संतोष का अनुभव होता है कि महाविद्यालय ने कला और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में अपनी जगह बना ली है। कॉलेज अपने संसाधनों का सही उपयोग करके लगभग 3000 छात्राओं को शिक्षा प्रदान करता है। रविवार और अन्य छुट्टियों पर नॉन कालेजिएट वूमेन शिक्षा बोर्ड का शिक्षण केन्द्र के साथ-साथ महाविद्यालय में विभिन्न विषयों में एमए स्तर की शिक्षा का लड़कियों के लिए बना पहला इग्नू सेंटर भी हैं। इस रूप में भी महाविद्यालय की भूमिका सराहनीय रही है।

लक्ष्मीबाई महाविद्यालय अकादमिक उत्कृष्टता और मानवीय मूल्यों के लिए समर्पित है। हम छात्राओं को स्वशासन और उनके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

विवरणिका समिति

श्रीमती गोबीना
डॉ. अमृता शिल्पी
डॉ. विभूति गौड़
डॉ. नीतू जयसिंघानी
डॉ. प्रवीण कुमार

अनुवादक

श्रीमती गोबीना
डॉ0 नीतू जयसिंघानी
डॉ0 प्रवीण कुमार

निर्धारित दाखिला सीटें

पाठ्यक्रम	अनुमोदित सीटें	सामान्य श्रेणी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	शारीरिक रूप से विकलांग
बी.ए. प्रोग्राम	493	248	74	37	133	10
बी.ए. (ऑनर्स) अर्थशास्त्र	54	27	8	4	15	1
बी.ए. (ऑनर्स)अंग्रेजी	54	27	8	4	15	1
बी.ए. (ऑनर्स) हिन्दी	54	27	8	4	15	1
बी.ए. (ऑनर्स) इतिहास	54	27	8	4	15	1
बी.ए. (ऑनर्स) गणित	54	27	8	4	15	1
बी.ए. (ऑनर्स) दर्शनशास्त्र	54	27	8	4	15	1
बी.ए. (ऑनर्स) राजनीतिशास्त्र	108	54	16	8	29	2
बी.ए. (ऑनर्स) संस्कृत	54	27	8	4	15	1
बी. कॉम	185	93	28	14	50	4
बी. कॉम (ऑनर्स)	108	54	16	8	29	2
बी.ए. (ऑनर्स) बिजनेस इकोनॉमिक्स	20	15	3	1.5	–	0.5

अपने विषय चयन के लिए छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट देख सकते हैं

* खेल एवं ईसीए –5% (खेल 3.5% + ईसीए 1.5%)
* विकलांग छात्रों के लिए – 3% (दृष्टि संबंधी 1%, बधिर संबंधी 1%, अन्य विकलांगता अथवा पक्षाघात 1%)
* विदेशी विद्यार्थी – 5%
* सशस्त्र सैनिक बल/कश्मीर प्रवासी–प्रत्येक पाठ्यक्रम में उपलब्ध सीटों की – 5%

दाखिला अनुसूची : अकादमिक सत्र 2015-16

दाखिला संबंधी जानकारी	तिथि	समय
ऑनलाइन पंजीकरण	बृहस्पतिवार 28 मई 2015- सोमवार 15 जून 2015	
पंजीकरण केन्द्र से पंजीकरण फार्म और रसीद प्राप्त की जा सकती है।	शुक्रवार 5 जून 2015 सोमवार 15 जून 2015	सुबह 9.30 बजे से दोपहर 3 बजे तक (रविवार को छोड़कर)
पंजीकरण हेतु कॉलेज द्वारा पहली दाखिला सूची की अधिसूचना	बृहस्पतिवार 25 जून 2015	सुबह 9.00 बजे
दाखिला और दाखिला शुल्क का भुगतान	बृहस्पतिवार 25 जून 2015 शनिवार 27 जून 2015	दोपहर 1 बजे तक
कॉलेज द्वारा दूसरी दाखिला सूची की अधिसूचना (यदि कोई हो तो)	मंगलवार 30 जून 2015	सुबह 9.00 बजे
दाखिला और दाखिला शुल्क का भुगतान	मंगलवार 30 जून 2015 - बृहस्पतिवार 2 जुलाई 2015	दोपहर 1 बजे तक
कॉलेज द्वारा तीसरी दाखिला सूची की अधिसूचना (यदि कोई हो तो)	शनिवार 4 जुलाई 2015	सुबह 9.00 बजे
दाखिला और दाखिला शुल्क का भुगतान	शनिवार 4 जुलाई 2015 - मंगलवार 7 जुलाई 2015	दोपहर 1 बजे तक
कॉलेज द्वारा चौथी दाखिला सूची की अधिसूचना (यदि कोई हो तो)	बृहस्पतिवार 9 जुलाई 2015	सुबह 9.00 बजे
दाखिला और दाखिला शुल्क का भुगतान	बृहस्पतिवार 9 जुलाई 2015- शनिवार 11 जुलाई 2015	दोपहर 1 बजे तक
कॉलेज द्वारा पांचवी दाखिला सूची की अधिसूचना (यदि कोई हो तो)	मंगलवार 14 जुलाई 2015	सुबह 9.00 बजे
दाखिला और दाखिला शुल्क का भुगतान	मंगलवार 14 जुलाई 2015- बृहस्पतिवार 16 जुलाई 2015	दोपहर 1 बजे तक
कॉलेज द्वारा छठी दाखिला सूची की अधिसूचना (यदि कोई हो तो)	सोमवार 20 जुलाई 2015	सुबह 9.00 बजे
दाखिला और दाखिला शुल्क का भुगतान	सोमवार 20 जुलाई 2015- बुधवार 22 जुलाई 2015	दोपहर 1 बजे तक
कॉलेज द्वारा सातवीं दाखिला सूची की अधिसूचना (यदि कोई हो तो)	शुक्रवार 24 जुलाई 2015	सुबह 9.00 बजे
दाखिला और दाखिला शुल्क का भुगतान	शुक्रवार 24 जुलाई 2015- सोमवार 27 जुलाई 2015	दोपहर 1 बजे तक

* आवश्यकता पड़ने पर अन्य पिछड़ा वर्ग की बची हुई आरक्षित सीटों को रूपान्तरण किया जाएगा और इसकी अधिसूचना दाखिले की निर्धारित अंतिम तिथि के साथ दी जाएगी।

* दाखिला की अंतिम तिथि-14 अगस्त 2015

अकादमिक सत्र 2015-16 के विभिन्न पूर्वस्नातक पाठ्क्रमों में दाखिला संबंधी दिल्ली विश्वविद्यालय के मार्गदर्शी सिद्धान्त एवं अनुसूची :

1. सभी वर्गों (सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पीडब्ल्यूडी) के छात्र जो पूर्वस्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला के इच्छुक हैं, उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा जारी ऑनलाइन या ऑफलाइन सामान्य पूर्व-दाखिला फार्म भरना अनिवार्य है। महाविद्यालय स्तर पर किसी भी तरह का पूर्व-दाखिला फार्म जारी नहीं किया जाएगा।

2. अभ्यर्थी ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन दोनों में से किसी एक ही तरीके से पूर्व-दाखिला फॉर्म भर सकते हैं।

3. सभी कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों का दाखिला दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमानुसार ही होगा। इस संबंध में कालेज द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम और किसी भी श्रेणी के छात्रों के लिए दाखिला संबंधी कोई 'अतिरिक्त पात्रता मापदंड' नहीं बनाया जाएगा।

4. कट-ऑफ सूची यूनिवर्सिटी वेबसाइट (http://du.ac.in), कॉलेज वेबसाइट और कॉलेज नोटिस बोर्ड समेत प्रिंट और इलैक्ट्रोनिक मीडिया में प्रसारित की जाएगी।

5. कॉलेज द्वारा जारी कट-ऑफ सूची में आने वाले सभी छात्रों को दाखिला देना अनिवार्य है। दाखिला में 'पहले आओ, पहले पाओ' की नीति नहीं अपनायी जाएगी।

6. विश्वविद्यालय द्वारा कट-ऑफ सूची जारी किए जाने के बाद, अनुबंधित समय सीमा के भीतर जिस कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं, उस कॉलेज में सम्पर्क करें और वहाँ का दाखिला फॉर्म तथा विश्वविद्यालय नामांकन फार्म भरें। अभ्यर्थी को अपने प्रमाणपत्र सत्यापित करवाकर, जमा करवाने होंगे। तत्पश्चात् दाखिला शुल्क भरना होगा।

7. (क) कट-ऑफ सूची में दाखिला नहीं ले पाने वाले छात्रों के लिए सीट उपलब्ध रहने पर केवल तत्काल बाद जारी की जाने वाली सूची में दाखिला के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक ही दाखिला लिया जा सकेगा।

   (ख) विलंब से रिजल्ट निकालने वाले संस्थानों जैसे आई बी के छात्रों का दाखिला मौजूदा कट-ऑफ लिस्ट के अनुसार होगा। सीटों की उपलब्धता के आधार पर यह सुविधा उन छात्राओं पर मान्य होगी जिन्होंने पूर्व पंजीकरण प्रक्रिया पूरी की हो।

8. किसी भी छात्रा को एक साथ दो पाठ्यक्रमों/कॉलेजों में दाखिला लेने की अनुमति नहीं है। ऐसा करने पर उस छात्रा के सभी दाखिलें रद्द कर दिए जाएंगे।

9. **गैप ईयर संबंधी दाखिले में कॉलेज पर विश्वविद्यालय के नियम लागू होंगे। इसके तहत पूर्वस्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला के दौरान गैप ईयर बाधक नहीं होगा।**

10. विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले से संबंधित जानकारियां और विषय संबंधी छात्रों की जिज्ञासाओं के समाधान के लिए विश्वविद्यालय की ओर से 'ओपन डेज' कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। कॉलेज में भी 'ओपन डेज' कार्यक्रम आयोजित किये जा सकते हैं इसके अलावा कॉलेज छात्र सहायता हेल्पलाइन और वेबसाइट के द्वारा भी सहायता कर सकता है।

11. आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत सशस्त्र बल सेना कर्मियों के बच्चों/विधवाओं/कश्मीरी प्रवासियों का दाखिला केन्द्रीकृत प्रक्रिया के तहत होगा। उक्त श्रेणियों का दाखिला विश्वविद्यालय स्तर पर संयुक्त कुलसचिव (शैक्षिक) के कार्यालय में किया जाएगा। उक्त श्रेणियों के दाखिला संबंधी अधिसूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट www.du.ac.in पर दी जाएगी।

12. सशस्त्र बल सेना कर्मियों के बच्चों/कश्मीरी प्रवासी यदि इसके अतिरिक्त अन्य (सामान्य/ अन्य पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पीडब्ल्यूडी) आरक्षण श्रेणी में भी आते हों तो इसके लिए अलग से पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।

13. प्रवेश परीक्षा के आधार पर होने वाले दाखिलों के लिए अलग प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

14. चार सर्वश्रेष्ठ विषयों में प्राप्त अंकों की गणना प्रक्रिया (के आधार पर होने वाले दाखिलों में) 'बेस्ट ऑफ फोर' गणना प्रक्रिया के अनुसार होगी।

15. (क) खेलकूद और ईसीए (अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियाँ) श्रेणी में होने वाले दाखिले के लिए कॉलेज अपना दाखिला फार्म निर्गत करेगा। यह दाखिला फार्म संबंधित कॉलेजों में उपलब्ध होगा। उक्त श्रेणियों में होने वाले दाखिले दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिला सिद्धांत के आधार पर होंगे। खेलकूद श्रेणी में होने वाले दाखिले संबंधी नियम आगे दिये गये हैं।

(ख) ईसीए (अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों) श्रेणी में दाखिला के लिए कॉलेज दाखिला समिति बनाई जाएगी। जिनमें निम्नलिखित सदस्य होंगे-

(1) प्रधानाचार्य (अध्यक्ष, शासी निकाय)

(2) प्रभारी, सांस्कृतिक समिति (समन्वयक)

(3) स्टाफ काउंसिल द्वारा नामित एक प्राध्यापक

(4) निम्नलिखित क्षेत्रों में से कम से कम दो विशेषज्ञ-

(क) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय

(ख) श्रीराम सेंटर फॉर परफोर्मिंग आर्ट्स

(ग) संगीत और ललित कलाएं संकाय

(घ) इंडियन कॉन्सिल फॉर कल्चर रीलेशन्स

(ड़) कॉलेज ऑफ आर्टस

(च) संगीत नाटक अकादमी

(छ) साहित्य कला परिषद्

(ज) ऑल इंडिया रेडियो/दूरदर्शन ('क' श्रेणी के कलाकार)

(झ) विशविद्यालय के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विषय विशेषज्ञों विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेजों को सलाह दी जाती है कि वे ईसीए दाखिला संबंधी गतिविधियों की रिकोर्डिंग करें और उन्हें रिकार्ड के रूप में सुरक्षित रखें। इस संबंध में अन्य दाखिला सिद्धांत पूर्ववत् रहेंगे।

(16) विश्वविद्यालय ने विशेष दाखिला सहयोगी टीम और अनुवीक्षण समिति गठित की है, जो कॉलेज दाखिला प्रक्रिया की निगरानी करेगी और छात्रों को सहयोग प्रदान करेगी।

(17) कॉलेज में शिकायत समिति गठित की जाएगी। जिसमें कम से कम कॉलेज के तीन प्राध्यापक होंगे। शिकायत समिति के सदस्य पूरी दाखिला प्रक्रिया के दौरान कॉलेज में उपलब्ध रहेंगे। शिकायत समिति सदस्यों के मोबाइल नंबर समेत पूर्ण ब्यौरा कॉलेज वेबसाइट समेत कॉलेज नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध रहेगा।

(18) कॉलेज द्वारा दाखिला दिए जाने वाली छात्राओं का विवरण नियमित रूप से कॉलेज वेबसाइट पर दिया जाना अनिवार्य है। दाखिला की अंतिम तिथि के एक सप्ताह के भीतर उक्त सभी ब्यौरे विश्वविद्यालय के सूचनार्थ भेजे जाएंगे।

(19) पूर्वस्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2015 है।

(20) भारत सरकार की विशेष छात्रवृति योजना के तहत जम्मू एवं कश्मीर के छात्रों के लिए निर्धारित दो अतिरिक्त सीटों का चयन सभी तीन वर्षीय पूर्वस्नातक पाठ्यक्रमों से किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) द्वारा जारी अनंतिम दाखिला पर्ची के आधार पर छात्रा के वांछित प्रमाण पत्रों की जाँच के बाद कॉलेज सीधे तौर पर अपने यहाँ दाखिला दे सकते हैं।

(21) विश्वविद्यालय के पास पूर्वस्नातक पाठ्यक्रमों में फेरबदल करने का अधिकार सर्वाधिक सुरक्षित है?

(किसी भी विवादास्पद स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा जारी अंग्रेजी गाइडलाइन अन्तिम रूप से मान्य होगा।)

खेल के आधार पर दाखिला

खेल के आधार पर किसी की पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले इच्छुक उम्मीदवारों को अलग से संबंधित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियों के साथ आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र खेल कार्यालय में उपलब्ध है। खेल कूद कोटे के लिए 3.5% सीट आरक्षित हैं।

खेल के आधार पर प्रवेश की शर्तें

1. **खेल प्रमाण पत्रः** विशेष शर्त के अनुसार अधिकतम 50 अंक

2. **शारीरिक स्वास्थ्य जांच अर्हताः** विश्वविद्यालय मानक के अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार को निम्नलिखित स्वास्थ्यता जाँच में से किन्हीं दो में योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य है–

   (अ) स्टैंडिग ब्रॉड जम्प – 1.15 मीटर अधिकतम अवसर – तीन

   (ब) 6 मिनट में 1000 मीटर की दौड़ अधिकतम अवसर – एक

   (स) 9 सेकंड में 50 मीटर की डैश गति अधिकतम अवसर – एक

3. **खेल–कौशल/जांच/परीक्षण/मानदंडः** खेल–क्रिया प्रदर्शन, खेल विशेष स्वास्थ्यता, खेल का मूलाधार इत्यादि कौशल परीक्षण के साथ खेल अभ्यास में अधिकतम 50 अंक।

ध्यान दें:

- खिलाड़ी का फोटोग्राफ के साथ खेल प्रमाण पत्र की संबंधित विभाग या अंतिम संस्थान के प्रधान द्वारा सत्यापित प्रति।
- किसी भी छात्रा द्वारा गलत/जाली/नकली प्रमाण दिये जाने पर/पाये जाने पर संबंधित छात्रा का नामांकन तीन वर्ष के लिए महाविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। यदि वह प्रवेश पा चुकी है तो उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। जिसकी सूचना सभी महाविद्यालयों को भेज दी जाएगी।
- उम्मीदवार की आयु आगामी तीन वर्ष के लिए अंतविश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने के योग्य होनी चाहिए और इस दौरान कहीं भी अल्प अवधि/पूरी अवधि के लिये कार्यरत नहीं हो सकते हैं।
- चयनित छात्राओं को नामांकन के समय 100 रुपये के न्यायिक स्टांप पेपर पर शपथ पत्र देना होगा कि स्नातक पाठ्यक्रम की समयावधि में वे महाविद्यालय के लिए प्रत्येक वर्ष खेलेंगीं।
- अभ्यास का विवरण केवल महाविद्यालय की वेबसाइट या सूचना पट पर दिया जाएगा, कोई भी व्यक्तिगत सूचना नहीं भेजी जाएगी।
- विशेष जानकारी के लिए संयोजिका डॉ. सुनीता अरोड़ा, और लेफ्टिनेंट डॉ. सीमा कौशिक से संपर्क करें।

अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों के आधार पर विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए निम्न दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा:

1. परिपत्र सं.।/स्पोर्ट/2010-11/178 दिनांक 29मई 2010 के अनुसार विभिन्न विषयों में खेल और ईसीए कोटा के तहत 5 प्रतिशत से अधिक सीट नहीं निर्धारित की जा सकती है।
2. ईसीए श्रेणी के तहत दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को संबंधित महाविद्यालयों में पंजीकरण कराना होगा।
3. खेल और ईसीए कोटा के तहत कुल 5: सीट आरक्षित हैं। जिसमें से 3.5: खेलकूद के लिए और 1.5: ईसीए (विषय-आधारित) के लिए आरक्षित है।
4. परीक्षण दो स्तरों पर आयोजित किया जाएगा: (1) प्रारंभिक परीक्षण (2) अंतिम परीक्षण
   * प्रारंभिक और अंतिम परीक्षण के लिए दिनांक कॉलेज की वेबासाइट और सूचना पट पर प्रदर्शित की जाएगी
   * विद्यार्थी जिस गतिविधियों में भागीदारी लेने या विजेता होने का लाभ पाना चाहते हैं उन्हें संबंधिति गतिविधि का पिछले तीन साल का प्रमाण-पत्र के प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
   * उम्मीदवारों के द्वारा प्रस्तुत विभिन्न स्तरीय जैसे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, स्टेट, क्षेत्रीय और विद्यालय स्तर, प्रमाण पत्र का लाभांश निम्न प्रकार से दिया जाएगा:

     प्रमाण पत्र का 25: और परीक्षण का 75:
   * सभी उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षण की गतिविधियों में केवल एक ही बार प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाएगी।
   * यदि एक उम्मीदवार एक से अधिक प्रारंभिक परीक्षण गतिविधियों में भाग लेना चाहता है तो इसके लिए पूर्व शर्त ही लागू होगी।
5. प्रारंभिक परीक्षण के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की लघु सूची महाविद्यालय की वेबसाइट और सूचना पट पर प्रदर्शित की जाएगी।
6. उम्मीदवार को संबंधित विषय में दाखिला के लिए सामान्य श्रेणी की अकादमिक योग्यता में से 15: से अधिक की छूट नहीं दी जा सकती है।
7. ईसीए श्रेणी के अंतर्गत दाखिला के लिए परीक्षण ईसीए दाखिला समिति के द्वारा आयोजित किया जाएगा। ईसीए समिति महाविद्यालय के स्टाफ कांसिल द्वारा मनोनित होगी। चयन प्रक्रिया में कम से कम दो विशेषज्ञों को बाहर से आमंत्रित किया जाएगा। यह विशेषज्ञ निम्न क्षेत्र से होने चाहिए-
   - राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय
   - श्रीराम सेंटर फॉर परफोर्मिंग आर्ट्स
   - 5) 5 0 0 5
   - इंडियन कॉसिल फॉर कल्चर रीलेशन्स
   - कॉलेज ऑफ आर्ट्स
   - संगीत नाटक अकादमी
   - साहित्य कला परिषद्
   - ऑल इंडिया रेडियो/दूरदर्शन ('क' श्रेणी के कलाकार)
   - विश्वविद्यालय के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विषय विशेषज्ञ

दाखिला प्रक्रिया

आवेदन प्रक्रिया

स्नातकोत्तर

इस पाठ्यक्रम में नामांकन के इच्छुक उम्मीदवारों को दिल्ली विश्वविद्यालय के संबंधित संकाय में सीधे आवेदन करना चाहिए। विश्वविद्यालय द्वारा चयनित उम्मीदवार ही कालेज में आवेदन कर सकते हैं। कालेज में नामांकन के लिए संबंधित विभाग से पंजीकरण रसीद लाना अनिवार्य है। नामांकन के लिए उम्मीदवारों की सूची दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यक्रमानुसार कॉलेज के सूचना पट पर दे दी जाएगी।

स्नातक

(अ) स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों को विवरणिका के साथ उपलब्ध कॉलेज नामांकन पत्र पर आवेदन करना है।

(ब) शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को भी समान आवेदन पत्र पर ही आवेदन करना है। परन्तु उन्हें आवेदन पत्र के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। तत्पश्चात चिकित्सा जाँच और अधिकतम अंकों के प्रतिशत में छूट के लिए विश्वविद्यालय के डब्ल्यू.यू.एस. (WUS) केन्द्र में जाए। चिकित्सा अधिकारी के अनुमोदन पर ही विश्वविद्यालय/कॉलेज द्वारा आवेदन स्वीकार किया जाएगा।

(स) विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अंक प्रतिशत के 'कट-ऑफ' की सूचना पूर्वनिर्धारित तिथि के अनुसार सूचना पट तथा कॉलेज की वेबसाइट पर दे दी जाएगी।

(द) नामांकन के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची दी गयी है।

योग्यता/पात्रता

1. विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश योग्यता तथा विश्वविद्यालय नियमों एवं अधिनियमों के अन्तर्गत ही दिया जाएगा।
2. आयु विश्वविद्यालय के नियमानुसार होनी चाहिए।
3. विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए निम्नलिखित किसी भी परीक्षा में कम से कम 45 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य हैं।

   (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट में पांच विषयों में उत्तीर्ण (एक भाषा और चार वैकल्पिक विषय) या मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा **या** दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय की पूर्व विश्वविद्यालय परीक्षा (10 वर्ष की स्कूलिंग के बाद दो वर्षों) **या** भारतीय विश्वविद्यालय/बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा **या** मान्यता प्राप्त (पाँच लिखित विषयों में उत्तीर्ण) समकक्ष परीक्षा।

   (ख) सी.आई.एस.सी.ई., नई दिल्ली द्वारा आयोजित आई.सी.एस.ई. (12 वर्ष) में उत्तीर्ण (पाँच लिखित विषयों में उत्तीर्ण)।

   (ग) यू.के. की जनरल सर्टिफिकेट एज्यूकेशन परीक्षा में उत्तीर्ण।

      (अ) सामान्य स्तर के पाँच विषयों में और

      (आ) कम से कम उच्च स्तर के दो विषय, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित इस समूह के बाहर से या साधारण स्तर के पाँच विषयों में से या तो दो उच्च स्तर के विषयों में से चुना जा सकता है।

      (इ) वाणिज्य और अर्थशास्त्र विषय में दाखिला लेने के इच्छुक छात्रों का 12वीं कक्षा तक गणित पढ़ा होना अनिवार्य है लेकिन गणित विषय के अंक श्रेष्ठ चार विषयों में जोड़ना अनिवार्य नहीं है।

'बेस्ट ऑफ फोर' गणना प्रक्रिया

1. आनर्स पाठ्क्रमों में दाखिले की प्रक्रिया हेतु चार मुख्य (बेस्ट ऑफ फोर) विषयों की प्रतिशत की गणना (कला एवं मानविकी विषयों में ऑनर्स दाखिले के संदर्भ में)

   (अ) एक भाषा (कोर/वैकल्पिक/क्रियात्मक)

   (ब) विषय जिसने दाखिला लेना है (यदि एक अभ्यार्थी सम्बंधित विषय को बेस्ट ऑफ फोर में सम्मिलित नहीं करता है चाहे वह उसने पढा हो या नहीं, ऐसी स्थिति में छात्रा को ऑनर्स पाठ्यक्रम में दाखिला लेते समय 2.5 प्रतिशत अंक को 'बेस्ट फोर' की गणना में हानि होगी।

   (स) कोई दो अन्य शैक्षिक /वैकल्पिक विषय तालिका सूची 'अ' के अनुसार (यदि अभियार्थी सूची 'अ' में दिए 'बेस्ट फोर' विषयों को शामिल नही करता तो उसे 'बेस्ट फोर' की गणना में 2.5 प्रतिशत अंक की हानि होगी।

List A (सूची–अ)

महाविद्यालय द्वारा निम्न लिखित विषयों में नामंकन की सुविधाएं उपलब्ध कराया जाता है।

वाणिज्य	गणित	संगीत
अर्थशास्त्र	दर्शनशास्त्र	पंजाबी
अंग्रेजी	राजनीति विज्ञान	समाजशास्त्र
हिंदी	संस्कृत	
इतिहास	गृह विज्ञान	

1. जिस बोर्ड द्वारा वाणिज्य को विषय के रूप में उपलब्ध न कराया जाता हो वहाँ एकाउटेंसी, वाणिज्य विषय के समकक्ष माना जाए।
2. व्यापार–अध्ययन शैक्षिक/वैकल्पिक विषय के समकक्ष माना जाना जाए।
3. संगीत और शारिरिक शिक्षा शैक्षिक/वैकल्पिक विषय के रूप में समझा जाए जहाँ 'संगीत' और 'शारीरिक शिक्षा' में प्रतिष्ठा (ऑनर्स) करना है।
4. यदि अभ्यर्थी ने वैकल्पिक और कोर विषय किसी भी भाषा में पढ़े हैं, तो कोर भाषा के रूप में समझी जाएगी। जबकि वैकल्पिक भाषा शैक्षिक/वैकल्पिक विषय समझे जाँए।
5. हिन्दी पत्रकारिता में ऑनर्स और प्रिंट मीडिया में ऑनर्स में दाखिला चार श्रेष्ठ प्रतिशत के आधार पर होगा। जैसे कि हिन्दी बी.ए. (आनर्स) और इंगलिश बी.ए. (ऑनर्स) में होता है।
6. अर्थशास्त्र और वाणिज्य आनर्स में दाखिला लेने के लिए अभ्यर्थी का गणित विषय 12वीं कक्षा में पढ़ना और पास करना अनिवार्य है।
7. (क) किसी भी भाषा विषय में आनर्स दाखिले हेतु उन अभियार्थियों को 2 प्रतिशत का लाभ मिलेगा जिन्होंने वैकल्पिक रूप में भाषा विषय पढ़ा है।

   (ख) यदि अभ्यार्थी ने भाषा विषय योग्यता परीक्षा का अध्ययन नहीं किया और वह भाषा विषय में ऑनर्स करना चाहता है तो उसके बेस्ट फोर में 5 प्रतिशत अंकों की हानि होगी।

   (ग) हिन्दी और अंग्रेजी में आनर्स में दाखिला हेतु अभ्यार्थी के लिए आवश्यक है कि उसने योग्यता परीक्षा में भाषा का अध्ययन किया हो और उसे 'बेस्ट फोर' प्रतिशत में शामिल किया जाए।

8. बी.ए. (प्रोग्राम)/बी.कॉम (प्रोग्राम) में अध्ययन हेतु श्रेष्ट चार 'बेस्ट ऑफ फोर' विषयों की गणना सम्बन्धी प्रक्रिया।

(क) एक भाषा (कोर/वैकल्पिक/क्रियात्मक)

(ख) कोई भी तीन वैकल्पिक विषयों को चुना जाए। 'बेस्ट ऑफ फोर' में 5 प्रतिशत की हानि होगी यदि स्ट्रीम में बदलाव किया जाएगा।

(ग) बी.ए. (वोकेशनल) में दाखिला लेने के लिए सिर्फ सम्बंधित वोकेशनल विषयों को ही शैक्षिक/वैकल्पिक विषयों के रूप उपचारिक माना जाए।

(घ) यदि अभ्यार्थी ने आधुनिक भारतीय भाषा (हिन्दी के अलावा) को विषय के दर्ज कर पर रखा हो तो उसे 10 प्रतिशत का लाभ 'बेस्ट ऑफ फोर' में दिया जाए। जिस कॉलेज में आधुनिक भारतीय भाषा विषय के तौर पर उपलब्ध हो।

विज्ञान विषयों में दाखिला

गणित-विज्ञान के विषय से सम्बन्धित नियम-आधार अपरिवर्तित रहेंगे। यद्यपि विषय जिसके आधार पर चयन (PCB/PCM/PCMB) किया जाएगा उसने लिखित परीक्षा में 70 प्रतिशत अंक योग्यता परीक्षा में प्राप्त करना अनिवार्य है अन्यथा 10 प्रतिशन की अधिकतम हानि प्रत्येक विषयों पर लगाई जाएगी।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची

नामांकन के समय आवश्यक दस्तावेजों की सूची: नामांकन के समय, आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ स्व-सत्यापित फोटोकॉपी की दो प्रतियों का सेट लाना आवश्यक है-

1. महाविद्यालय प्रवेश फॉर्म
2. उपस्थिति और जिम्मेदारी घोषणा-पत्र
3. 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा का प्रमाण पत्र
4. 10वीं कक्षा का अंक पत्र
5. 12वीं कक्षा का अंक पत्र
6. 12वीं कक्षा का औपबंधिक प्रमाण पत्र/मूल प्रमाण पत्र
7. चरित्र प्रमाण पत्र (वर्तमान)
8. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए (उम्मीदवार के नाम का) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र।
9. अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए (नॉन क्रीमी लेयर) अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र।
10. जिन छात्राओं ने दिल्ली के बाहर से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की हैं; उन्हें विद्यालय/महाविद्यालय का स्थानांतरण प्रमाण-पत्र, साथ ही बोर्ड/विश्वविद्यालय का माइग्रेशन प्रमाण-पत्र की पाँच स्व-प्रमाणित फोटो प्रतियाँ लाना आवश्यक है।
11. कम से कम दो पासपोर्ट आकार के स्व-प्रमाणित फोटो
12. पुस्तकालय पत्र फॉर्म
13. पहचान पत्र प्रोफॉर्मा

Note : The University will accept self-attested copies of documents/ papers provided by the students. It is made clear that if any false attestation/ falsified recools are datected the student will be debarrd from attending any course in the University/or it colleges for next five years and in addition a criminal case under relevant section of IPC (Viz. 470, 471, 474 ert.) will be instituted against him/her.

ऽ

य) य ऽ

- 8 9 5 4 5 रू8य 5 4 5 5) रू8य रू 5 4 5 7 96ष्2 7599 9 5ऽ5 3) 38 9 0 4 7 रू रू8य 5 5) रू8य रू 5 29 5 5 5 3)
- 00 7 5 29 5.5 5 9 रू 5 3 5 5) 9 5 0 929 रू8य 5 70 रू8य रू 5 96ष्2 759 9 2 9 2 4 5 य 5
- ण 4 5 य 915 5 5ऽ5 .5 3 3) 9 5ऽ5 9 9 5रू9 9 57 5 रू8 5 985रू ण 985रू ण 9 3 7 595 य 5457 5रू 3)

रू रू8य 5 5) रू8य रू 5 96ष्2 75 525' 29 9 0 5.5 5 309 6 9 4 5 5ऽ5 595 9 0 रू3 025रू 5 5

ऽ

- ' 4 -5 7 96ष्2 759 9 8 9 5 4 5 5ऽ5 5 5 3)

525' 7 9 9 29 ण 5- 54(29 29 5 6ष्2 759 5 2579 5 35 95 539 796ष्2 75 रू8य 5 रू8य रू 5 ' 4 -5 7 93 359 5) 79 525' 29 29 59 30 59 6 9 525' 7 929 9 4(153 रू3 0 5 5 5 3) 1रू 4 5 9 7 5 79 रू8य 5 रू8य रू 5 ' 4 -5 7 9 0 5930 6 6ष्2 75 59 525' 95 29 5.5 5 5 5 5 3 96ष्2 75 5ऽ5 95 9 5 5 5 5 525' 95 9 0 5 .5930

ऽ

5 रू 45 259 29 7 50 7 9 5599 9 4 5 5ऽ5 5 श 7 55 3) 3 7 50 5 4 5 9 2 रू3 035रू 53 7 50 5 95 9 5 5 4 4 5 5ऽ5 59 59 रू5रू 4 5 9 7 55 5 5 3)

- रू93 रू 5 15 9 4 5
- 1 59 9 4 5
- ' 7 50 5 5) 4ऽ55 9 4 5

) ऽ

4 9 45 2 29 59 4 5)रू 1 59 91 597 75 59 55 2 475 59 9 5ऽ5 5 5 3) 6 9 559 5 5.5 5 7 7 7 5 4 08 8 7 5)5 9 5 5 29 5 5 5 6 9 5 59 9 5.5 5 005 5 यरू5 7 7 7 5 79 5 www.du.ac.in 4 5

विदेशी विद्यार्थियों के लिए आरक्षण

सभी विदेशी विद्यार्थियों को, जिनमें ऐसे विदेशी छात्र भी शामिल होंगे जिन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा भारतीय बोर्ड से पूरी की है, विदेशी छात्रा माना जाएगा। विश्वविद्यालय के सभी विभागों या महाविद्यालयों में पंजीकरण या दाखिला के लिए इच्छुक हैं, उन्हें विदेशी छात्रों के लिए निर्धारित 5 प्रतिशत के आरक्षण के तहत प्रवेश दिया जा सकता है। दाखिला लेने के इच्छुक छात्रों को डिप्टी डीन (विदेशी छात्र) कान्फ्रेंस सेंटर, दिल्ली विश्वविद्यालय-110007 में आवेदन करना चाहिए। ई मेल – Dydean_fs@du.ac.in

वर्ष 2015-2016 के वार्षिक दाखिला शुल्क और अन्य भुगतान का ब्यौरा

उल्लेखनीय ब्यौरा	बी.बी.ई. (ऑनर्स)	बी.कॉम (ऑनर्स)	बी.कॉम	बी.ए. (ऑनर्स) अर्थशास्त्र/हिंदी/ राजनीति विज्ञान	बी.ए. (ऑनर्स) अंग्रेजी/इतिहास दर्शनशास्त्र/ संस्कृत	बी.एस.सी. (ऑनर्स) गणित	बी.ए. (प्रोग्राम)	बी.ए. (प्रोग्राम) संगीत के साथ	बी.ए. (प्रोग्राम) एफटी/ एडीसी के साथ	एम.ए. राजनीति विज्ञान/ संस्कृत	एम.ए. दर्शनशास्त्र
दाखिला	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
एनएसएस	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
ट्यूशन शुल्क (मई-अप्रैल)	180	180	180	180	180	180	180	180	180	216	216
कालेज पत्रिका	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
पुस्तकालय	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
पानी, बिजली और रखरखाव	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
बगीचा	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
कॉलेज पहचान पत्र	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
कम्प्यूटर शुल्क	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
डब्ल्यू यू एस	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
दिल्ली विश्वविद्यालय सांस्कृतिक परिणाम	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
विश्वविद्यालय विकास	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
विश्वविद्यालय परीक्षा (अंकतालिका समेत)	1820	1320	1020	1020	1020	1020	1020	1420	1420	1420	1420
विश्वविद्यालय पंजीकरण	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
विश्वविद्यालय पुस्तकालय विकास फंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	200	200
विश्वविद्यालय एथलेटिक एसोसिएशन शुल्क	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
एकमुश्त (प्रत्यर्पण) विश्ववि. लाईब्रेरी प्रत्याभूति राशि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1000	1000
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
विश्वविद्यालय लाईब्रेरी फीस	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	3
सुरक्षा जमा (प्रत्याभूति राशि)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
खेल कूद	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
सामान्य रखरखाव	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
पुस्तकालय सुविधा	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
अध्ययन कक्ष	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
मेडिकल	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
छात्र संघ	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

उल्लेखनीय ब्यौरा	बी.बी.ई. (ऑनर्स)	बी.कॉम (ऑनर्स)	बी.कॉम	बी.ए. (ऑनर्स) अर्थशास्त्र/हिंदी/ राजनीति विज्ञान	बी.ए. (ऑनर्स) अंग्रेजी/इतिहास दर्शनशास्त्र संस्कृत	बी.एस.सी. (ऑनर्स) गणित	बी.ए. (प्रोग्राम)	बी.ए. (प्रोग्राम) संगीत के साथ	बी.ए. (प्रोग्राम) एफटी/ एडीसी के साथ	एम.ए. राजनीति विज्ञान/ संस्कृत	एम.ए. दर्शनशास्त्र
सामाजिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक गतिविधियों	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
छात्र सहयोग कोष	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
कॉमन रूम	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
बाल कल्याण कोष	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
महाविद्यालय विकास शुल्क	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
प्रेक्षाग्रह व स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स निर्माण	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
विविधा शुल्क	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
स्थापना	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
प्रयोगशाला शुल्क	–	1000	–	–	–	1000	–	–	1000	–	–
लैंगिक शोषण विरोधी समिति	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
बी.बी.ई. शुल्क	12000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल देय शुल्क	18975	7475	6175	6175	6175	7175	6175	6575	7575	7814	7814

* फीस की वापसी विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार ही होगी।
* विदेशी छात्र फीस की जानकारी के लिए कैशियर से संपर्क में रहें।
* यदि बैंक की शुल्क पर्ची गुम हो जाती है तो कॉलेज द्वारा सत्यापन 30 रुपये शुल्क लेकर किया जाएगा।
* किसी भी छात्रा को कॉलेज के सभी शुल्क चुकाये बिना और क्लियरेंस प्रमाणपत्र लिए बिना विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
* प्रत्यभूति राशि प्राप्त करने से पूर्व कॉलेज ऑफिसर, एन.सी.सी., खेल विभाग तथा लाईब्रेरी से क्लियरेंस प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
* जिन छात्राओं ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है उन्हें प्रत्याभूति राशि का 50 प्रतिशत ही दिसम्बर माह में लौटाया जाएगा। इसके लिए उन्हें उस वर्ष 1 सितम्बर से 30 नवम्बर के बीच प्रत्यर्पण फॉर्म भर कर कॉलेज ऑफिस में जमा कराना होगा। शेष 50 प्रतिशत प्रत्याभूति राशि 'पूर्व छात्र संघ' में जाएगी। यदि छात्रा द्वारा कॉलेज की संपत्ति को कोई हानि पहुंचाई जाती है या पुस्तकालय की पुस्तक गुम या क्षति पहुंचाई जाती है तो उसकी कटौती प्रत्याभूति राशि में से की जाएगी।

अकादमिक कलैंडर 2015-16

सेमेस्टर I/III/V	
कक्षाएं आरंभ	20 जुलाई 2015 (सोमवार)
मध्य सेमेस्टर अवकाश	21 अक्टूबर 2015 (बुधवार) 25 अक्टूबर 2015 (रविवार)
मध्य सेमेस्टर अवकाश के पश्चात् कक्षाएं प्रारम्भ	26 अक्टूबर 2015 (सोमवार)
कक्षाओं का समापन, परीक्षा तैयारी अवकाश और प्रायोगिक परीक्षा आरम्भ	13 नवम्बर 2015 (शुक्रवार)
सैद्धान्तिक परीक्षा आरम्भ	26 नवम्बर 2015 (बृहस्पतिवार)
शीतकालीन अवकाश	19 दिसम्बर 2015 (शनिवार) 3 जनवरी 2016 (रविवार)
सेमेस्टर II/IV/VI	
कक्षाएं आरंभ	4 जनवरी 2016 (सोमवार)
मध्य सेमेस्टर अवकाश	23 मार्च 2016 (बुधवार) 27 मार्च 2016 (रविवार)
मध्य सेमेस्टर अवकाश के पश्चात् कक्षाएं प्रारम्भ	28 मार्च 2016 (सोमवार)
कक्षाओं का समापन, परीक्षा तैयारी अवकाश और प्रायोगिक परीक्षा आरम्भ	26 अप्रैल 2016 (मंगलवार)
सैद्धान्तिक परीक्षा आरम्भ	9 मई 2016 (सोमवार)
ग्रीष्मकालीन अवकाश	21 मई 2016 (शनिवार) 19 जुलाई 2016 (मंगलवार)

दाखिला के पश्चात्

महत्वपूर्ण सूचनाएं

- चयनित अभ्यर्थी शुल्क अदायगी और नामांकन की अन्य प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद महाविद्यालय की विद्यार्थी हो जाएगी।
- द्वितीय और तृतीय वर्ष में महाविद्यालय से दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी अन्य महाविद्यालय में स्थानांतरण के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। छात्राओं को नामांकन के समय इस नियम की स्वीकृति के लिए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।
- किसी भी पाठ्यक्रम में किसी भी छात्रा द्वारा गलत/जाली/नकली प्रमाण पत्र जमा करने पर या पाए जाने पर दाखिला निरस्त कर दिया जाएगा और उचित कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। यदि नामांकन के बाद सेसी सूचनाएं पाईं गईं तब उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। जिसकी सूचना सभी महाविद्यालय और पुलिस को दे दी जाएगी।

नये विद्यार्थियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम

महाविद्यालय 'ओरिएंटेशन कार्यक्रम' में नई छात्राओं का स्वागत करता है। जिससे विद्यार्थी महाविद्यालय के वातावरण, नियम और कानून, उपलब्ध सुविधाओं तथा अन्य अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों से परिचित होते हैं। यह उन्हें महाविद्यालय में सहज और क्रियाशील बने रहने में मदद करता है। प्रथम सत्र के शैक्षणिक कार्यक्रम 20 जुलाई 2014 से आरम्भ होंगे। ओरिएंटेशन दिवस का आयोजन 20 जुलाई 2015, सोमवार प्रातः 10:00 बजे किया जाएगा। स्वर्ण जयंती वर्ष की शुरूआत इस सत्र से होगी।

सभी नयी छात्राओं को अपना नामांकन रसीद लाने की सलाह दी जाती है।

पहचान पत्र

प्रत्येक छात्रा को एक पहचान पत्र दिया जाता है, जिसे प्रत्येक दिन अपने साथ महाविद्यालय लाना अनिवार्य है। कॉलेज प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर इसे दिखाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। पहचान पत्र गुम हो जाने पर द्वितीय प्रति 40 रुपये की भुगतान राशि पर प्राप्त की जा सकती है।

सूचना पट

विभिन्न कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण सूचनाएं सूचना पट पर दी जाती हैं। छात्राओं को प्रत्येक दिन सूचना पट देखने की सलाह दी जाती है। गैर सरकारी संगठन, 'विश्वास' (V.I.S.V.A.S.) के सहयोग से महाविद्यालय में वेब आधारित सूचना पट लगाया गया है। इस प्रणाली का उद्देश्य छात्राओं, छात्र संगठनों, प्रशासन और संकाय (शिक्षकों) के बीच प्रभावशाली संचार प्रणाली सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

पर्यटन/पिकनिक

छात्राएं कृपया ध्यान दें-

जब भी महाविद्यालय द्वारा सरकारी पर्यटन/पिकनिक आदि का आयोजन किया जाएगा, छात्राओं को अपने माता-पिता से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' लाना होगा। इस प्रकार के आयोजनों में शिक्षक भी साथ जाएंगे। महाविद्यालय प्रशासन द्वारा लिखित रूप से ऐसे आयोजनों की पूर्व सूचना जारी की जाएगी। यदि छात्राएं किसी निजी समूह या अनाधिकृत समूह द्वारा आयोजित लम्बी पैदल यात्रा/पर्यटन/पिकनिक में शामिल होती हैं तो ऐसी स्थिति में किसी भी दुर्घटना के लिए महाविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा और छात्राएं स्वयं जिम्मेदार होंगीं।

सुविधाएं

पुस्तकालय और अध्ययन कक्ष

महाविद्यालय के पास इंटरनेट सुविधा, वाई-फाई कनेक्टिविटी और विशाल अध्ययन कक्ष से युक्त कम्प्यूटरीकृत पुस्तकालय है, जो सभी छात्राओं के लिए सुबह 9:00 बजे से लेकर अपराह्न 5:00 बजे तक सभी कार्य दिवसों में खुला रहता है। सामान्य और पाठ्य पुस्तक वर्गों की किताबें केवल एक सप्ताह के लिए निर्गत की जाती हैं। आरक्षित खंड की किताबें अग्रिम मांग और पुस्तकालय अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के साथ जारी की जाती हैं। यह केवल एक रात के लिए अपराह्न 1:00 के बाद निर्गत की जाती है। अगले दिन सुबह 9:00 बजे वापिस करना अनिवार्य होता है।

संदर्भ ग्रंथ और पत्रिकाएं केवल संदर्भ के लिए उपलब्ध हैं। पुस्तकालय पूरी तरह से स्पइेले सॉफ्टवेयर से स्वचालित है। लगभग 83,000 पुस्तकें स्वचालन की प्रक्रिया में हैं। पुस्तकालय का नवीनीकरण किया गया है और अब महाविद्यालय में छात्राओं और शिक्षकों की सुविधाओं के लिए कम्प्यूटरीकृत वर्गीकरण इकाई उपलब्ध है। पुस्तकालय में दो कम्प्यूटर इकाईयां (भूतल और प्रथम तल प्रत्येक पर एक-एक) उपलब्ध है। कर्मचारियों और छात्राओं के लिए कम्प्यूटरीकृत पहचान पत्र और पुस्तकालय टिकट जारी किये जाते हैं। नवम्बर 2008 से ओपेक (ऑन लाइन पब्लिक एक्सेस केटालॉग) सुविधाएं उपलब्ध है। निर्गत/वापसी काउंटर पर 'स्कैनर गन' की व्यवस्था की गई है।

नियम

(i) महाविद्यालय पहचान पत्र सभी सेवाओं के लिए मान्य है। जैसे प्रवेशद्वार, पुस्तकालय निर्गत काउंटर, संदर्भ अनुभाग आदि। प्रवेश द्वार, निर्गत काउंटर, संदर्भ अनुभाग आदि सभी सेवाओं के लिए प्रत्येक दिन महाविद्यालय पहचान पत्र दिखाया जाना आवश्यक है।

(ii) महाविद्यालय द्वारा निर्गत विद्यार्थी पहचान-पत्र पर बी.ए. (ऑनर्स) और बैचलर विद ऑनर्स के छात्राओं को तीन किताबें और बी.ए. (प्रोग्राम) के छात्राओं को दो किताबें निर्गत की जाती है।

(iii) पुस्तकालय फॉर्म के लिए अलग से छात्राओं को पासपोर्ट आकार का फोटो लाना आवश्यक है।

(iv) वापसी तिथि के बाद पुस्तकें वापस करने पर सामान्य किताबों पर एक रुपया प्रतिदिन तथा सन्दर्भ ग्रंथों पर दो रुपया प्रतिदिन के अनुसार शुल्क देना होगा।

(v) पुस्तकालय की पुस्तकों को क्षति पहुँचाने पर जुर्माने के साथ-साथ पुस्तकालय की सुविधा से भी वंचित किया जा सकता है।

(vi) पुस्तकें खो जाने पर तुरंत लिखित सूचना पुस्तकालयाध्यक्ष को देनी होगी तथा पुस्तक की कीमत से डेढ़ गुना अधिक रुपये का जुर्माना देना होगा। पुस्तकालय की किताबों/पत्रिकाओं के किसी भी पृष्ठों को फाड़ने पर भी भारी जुर्माना होगा।

(vii) पुस्तकालय के नियमों और विनियमों तथा पुस्तकालय से संबंधित अन्य सूचनाओं की जानकारी के लिए समय-समय पर पुस्तकालय सूचना पट देखते रहें।

संगोष्ठी कक्ष

महाविद्यालय के पास सम्पूर्ण सुविधाओं से युक्त एक वातानुकूलित संगोष्ठी कक्ष है जिसका उपयोग व्याख्यान, संगोष्ठी और कार्यशालाओं के लिए किया जाता है।

प्रयोगशालाएं

महाविद्यालय के पास विशाल प्रकाशपूर्ण/प्रकाशमय और सुसज्जित प्रयोगशालाएं हैं-

- खाद्य प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला
- परिधान डिजाइन प्रयोगशाला
- वातानुकूलित कम्प्यूटर लैब

कैंटीन

महाविद्यालय कैंटीन उचित मूल्य पर जलपान, पेय पदार्थ और भोजन आदि की सुविधाएं प्रदान करता है। किसी भी समस्या/सुझाव के लिए श्रीमती गायत्री वर्मा और डॉ. अंबुज से संपर्क कर सकते हैं।

बैंक

महाविद्यालय में बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा है। यह कॉलेज स्टाफ और छात्राओं को सभी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करती है। बैंक महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों तथा सेमिनारों को आयोजित करने में योगदान देकर महाविद्यालय का अभिन्न अंग बन गया है।

फोटोस्टेट

महाविद्यालय के पास फोटोस्टेट सुविधा भी उपलब्ध है।

महाविद्यालय बस

अधिकारिक आयोजनों के लिए पूर्व बुकिंग माध्यम से महाविद्यालय बस सुविधा का उपयोग किया जा सकता है।

परिवहन

लक्ष्मीबाई महाविद्यालय तक पहुँचने के लिए बस संख्या 166, 181ए, 912 तथा मेट्रो स्टेशन (कन्हैया नगर, इंद्रलोक, शास्त्रीनगर) की सुविधा उपलब्ध है।

चिकित्सीय निरीक्षण और प्राथमिक चिकित्सा

छात्राओं की प्राथमिक चिकित्सा और देखभाल के लिए एक प्रशिक्षित और योग्य नर्स है। चिकित्सा सहायता के लिए कमरा नं. 10 चिकित्सा कक्ष है। आवश्यकतानुसार वहां से सहायता ली जा सकती है। छात्राएँ दिल्ली विश्वविद्यालय के डब्ल्यु.यू.एस. (W.U.S.) स्वास्थ्य केंद्र, छात्रा मार्ग, से अपना पहचान पत्र दिखाकर चिकित्सा परामर्श और उपचार करा सकती हैं।

विशेष जरूरतमंद छात्राओं के लिए सुविधाएं

महाविद्यालय नेत्रहीन छात्राओं के लिए संवेदनशील और सुविधाजनक वातावरण प्रदान करता है। सभी पाठ्यक्रमों में ऐसी छात्राओं की बड़ी संख्या है। महाविद्यालय ने हेपसन (HEPSN) कार्यक्रम के तहत 10वीं योजना अवधि में यूजीसी अनुदान की मदद से वर्ष 2006-07 में एक विकलांगता इकाई का गठन किया है। यह इकाई नेत्रहीन छात्राओं की जरूरतों को पूरा करती है। महाविद्यालय इनके कम्प्यूटर शिक्षण और अंग्रेजी भाषा कौशल में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।

कम्प्यूटरीकृत प्रशासनिक और लेखा विभाग

कॉलेज में कम्प्यूटराइजेशन का कार्य वर्ष 2011-12 में शुरू हुआ। लेखा और छात्राओं से संबंधित कागजी कार्यों को पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। लेखा और प्रशासनिक विभाग में 'वाई-फाई कनेक्टिविटी' दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई है।

वित्तीय सहायता

फीस माफी

सभी जरूरतमंद और योग्य छात्राएँ फीस माफी के लिए निर्धारित आवेदन पत्र पर 16 अगस्त 2014 से पहले आवेदन कर सकती हैं। छूट-पढ़ाई, उत्तम आचरण, नियमित उपस्थिति और संतोषजनक प्रगति के आधार पर दी जाती है। छात्राएं अधिक जानकारी के लिए राजनीति विज्ञान विभाग की सुश्री प्रीति चौहान और सुश्री रश्मिता बेहरा से संपर्क कर सकती हैं।

छात्र सहायता कोष

छात्र सहायता कोष से जरूरतमंद और योग्य छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। छात्राएं को कार्यालय से उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र पर 22 अगस्त 2014 से पहले आवेदन कर सकती हैं।

छात्रवृत्ति

दिल्ली सरकार द्वारा विभिन्न छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। जिनका विवरण निम्नलिखित है:

1. **अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्राओं की लिए छात्रवृत्ति:** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रवृत्ति का विवरण दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय से प्राप्त किया जा सकता है।
2. **नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति:** नेत्रहीन छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति का विवरण सामाजिक कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली से प्राप्त किया जा सकता है।

किसी भी अन्य छात्रवृत्ति के विवरण के लिए किसी भी कार्य दिवस पर महाविद्यालय कार्यालय या दिल्ली विश्वविद्यालय मुख्य परिसर की परीक्षा शाखा 7(1), कमरा नं. 61 से 9:30 से 12:30 के बीच प्राप्त किया जा सकता है।

सह पाठ्यक्रम गतिविधियां

व्यक्तित्व के सर्वांगींण विकास के लिए प्रत्येक छात्र से निम्न में से किसी में शामिल होने की उम्मीद की जाती है:

खेल: महाविद्यालय सुविधाओं सहित विभिन्न खेल एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केटबाल, शतरंज, क्रास कंट्री, क्रिकेट, जूडो, कबड्डी, खो-खो, नेटबॉल, पावर लिफ्टिंग, सॉफ्टबाल, तैराकी, टेबल टेनिस, तायक्वोंडो, वालीबॉल, वजन उठाना, कुश्ती और योग में कोचिंग प्रदान करता है। हमारी छात्राओं ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय, इंटर महाविद्यालय और राज्य स्तर पर महाविद्यालय का नाम रोशन किया है।

योग्यता या खेल के आधार पर दाखिला लेने, कोई भी छात्रा प्रतियोगिता के विभिन्न स्तरों पर उत्कृष्टता प्राप्त करने और रोजगार के रूप में अपनाने के लिए खेल में शामिल होकर अभ्यास कर सकती हैं। इच्छुक छात्राएँ शारीरिक शिक्षा और खेल विभाग में डॉ. सुनीता अरोड़ा या डॉ. सीमा कौशिक से संपर्क कर सकती हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.): छात्राएँ निम्न परियोजनाओं में से किसी एक को विकल्प के लिए चुन सकती हैं:

- संस्थानिक सेवाएँ (नेत्रहीन छात्राओं को सहायता)
- स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ कार्य करना
- कार्य कुशलता संबंधित परियोजना पर कार्य करना
- सामुदायिक सेवाएँ

- रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान
- नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन
- सफाई अभियान
- प्रौढ़ शिक्षा
- मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम

एक दस दिवसीय शिविर अक्टूबर, दिसंबर और गर्मी की छुट्टियों के दौरान आयोजित किया जाता है। स्वयंसेवकों को योग्यता प्रमाण पत्र से विभिन्न सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में 120 घंटे पूरा करने तथा इकाई द्वारा अयोजित तीन विशेष शिविरों में से किसी एक में भाग लेने के बाद ही सम्मानित किया जाएगा। इच्छुक छात्राएँ राजनीति विज्ञान विभाग की प्रोग्राम ऑफिसर डॉ. बविता वर्मा से संपर्क कर सकती हैं।

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.): राष्ट्रीय कैडेट कोर सबसे बड़ा स्वैच्छिक वर्दीधारी युवा संगठन है जहां दाखिल कैडेट को छोटे हथियारों और परेड का बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। एन.सी.सी. में जाति, पंथ, धर्म और आर्थिक स्थिति पर बिना विचार किए एकता, देशभक्ति, अनुशासन, टीम भावना, एस्प्रिट डी कैंपस, नेतृत्व, आत्मविश्वास जैसे गुणों का सर्वांगींण व्यक्तित्व विकास के लिए प्रशिक्षण व प्रोत्साहन दिया जाता है।

लक्ष्मीबाई महाविद्यालय की जीवंत और गतिशील एन.सी.सी. विंग 7 लड़कियों वाली बटालियन के नेतृत्व में कीर्तिनगर में कई नये लगातार कीर्तिमान स्थापित किये हैं। दाखिल 160 कैडेट को महाविद्यालय के साथ-साथ दिल्ली के भीतर या बाहर विभिन्न शिविरों में ड्रिल/व्याख्यान/अंतर कक्षीय प्रतियोगिता का साप्ताहिक प्रशिक्षण (शनिवार को) में भाग लेना जरूरी है। एन.सी.सी. अपने कैडेट को वार्षिक प्रशिक्षण शिविर (एटीसी), राष्ट्रीय एकता शिविर (एन.आई.सी.), सेना लगाव शिविर (एएसी) सहित विभिन्न शिविरों के दौरान, ड्रिल सिंग्नलिंग, हथियार प्रशिक्षण, नक्शा पढ़ने, नागरिक सुरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा, घर नर्सिंग आदि की शिक्षा देकर बुनियादी नेतृत्व शिविर (बी.एल.सी.) व्यक्तित्व विकास (पीडीसी), ट्रैकिंग और पर्वतारोहण, स्कीइंग, पानी खेल, साहसिक खेल, युवा विनिमय कार्यक्रम के साथ ही प्रधानमंत्री की रैली और प्रतिष्ठित गणतंत्र दिवस परेड का प्रशिक्षण देता है।

अनुशासित, ईमानदार और प्रतिबद्ध या सशस्त्र बलों में शामिल होने की इच्छुक छात्राएं ही एन.सी.सी. में शामिल हो सकती हैं। विशेष जानकारी के लिए एसोसिएट एन.सी.सी. अधिकारी (ए.एस.ओ.) लेफ्टिनेंट (डॉ.) सीमा कौशिक से संपर्क कर सकती हैं।

छात्र निकाय

छात्र संघः छात्र संघ निर्देशांक और महाविद्यालय के सभी अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों के कार्यक्रम के संकाय सलाहकार डॉ.बबिता वर्मा, डॉ. रेनु जैन और डॉ. नीलम के मार्गदर्शन में महाविद्यालय के छात्राओं के द्वारा विधिवत रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि संस्था है। यह महाविद्यालय के विभिन्न उत्सवों और गतिविधियों में भाग लेने के लिए छात्राओं को प्रोत्साहित करती है। प्रायः सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रम संघ द्वारा आयोजित किये जाते हैं जैसे नवांगतुकों के लिए अेरिएंटेशन कार्यक्रम, फ्रेशइयर पार्टी, मिस लक्ष्मीबाई महाविद्यालय प्रतियोगिता और प्रतिष्ठित दो दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम 'विविधा'।

नोटः

- महाविद्यालय परिसर पर्यटन और पिकनिक जैसे किसी भी निजी कार्यक्रम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
- किसी भी दौरे/भ्रमण या पिकनिक पर जाने से पहले छात्राओं को कार्यक्रम की आधिकारिता के बारे में जानकारी होनी चाहिए।

विभागीय संगठन और समितियां

महाविद्यालय व्यक्तित्व के सर्वांगींण विकास के लिए छात्राओं को विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। छात्राओं की सुविधाओं के लिए बुधवार चौथी घंटी (पीरियड) विशेष रूप से अतिरिक्त पाठ्यक्रम की गतिविधियों के लिए सुरक्षित रखा गया है। छात्राओं से इन गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लेने और पुरस्कार जीतने की आशा की जाती हैं।

प्रत्येक छात्रा को निम्न समीतियों में से किन्हीं दो का सदस्य होना आवश्यक है:-

समिति

- (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत) नाट्य समिति 'नवरंग'
- अंग्रेजी साहित्य और वाद-विवाद समिति
- हिन्दी साहित्य और वाद-विवाद समिति 'अभिव्यक्ति'
- संगीत और नृत्य समिति
- ललित कला समिति
- गांधी अध्ययन सर्किल
- पंजाबी साहित्य और सांस्कृतिक समिति
- संस्कृत साहित्य और सांस्कृतिक समिति
- बगीचा समिति
- संरक्षण (पर्यावरण जागरूकता समिति)

महिला विकास केन्द्र

महाविद्यालय में प्रशिक्षित निर्देशक के साथ एक क्रियाशील परामर्श इकाई महिला विकास केन्द्र है। केन्द्र महिला अधिकारों और समाज में उनकी भूमिका के बारे में छात्राओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए नुक्कड़ नाटक, निबंध/पोस्टर प्रतियोगिता/गोष्ठियां व कार्यशालाओं का आयोजन करता है। महिला विकास केन्द्र ने फिल्म द्वारा महिलाओं से संबंधित उठाए गए मुद्दों पर विशेषज्ञों के साथ चर्चा करके, फिल्मों का प्रदर्शन करने के लिए फिल्म क्लब 'वुमेनोस्कोप' शुरू किया है। लगभग 80 छात्राएँ क्लब की सदस्या हैं। केन्द्र में शामिल होने वाले इच्छुक छात्राएँ डॉ. रितु गोयल, डॉ. संगीता शर्मा से संपर्क कर सकती हैं।

संरक्षण (पर्यावरण जागरूकता समिति)

पर्यावरण जागरूकता शिक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा है। समिति छात्राओं में एक मिशन की तरह पारिस्थिति अनुकूल दुनिया का विज़न लेकर काम करती है। समिति समाज में पर्यावरण से संबंधित वर्ष भर विभिन्न गतिविधियां जैसे निबंध लेखन, क्विज, कला और शिल्प (शिल्प कला) तथा पोस्टर बनाना आदि आयोजित करती है। छात्राएँ हमारे देश के प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत से संबंधित आयोजित कार्यशालाओं/संगोष्ठियों में भाग

लेकर लाभांवित हैं। महाविद्यालय द्वारा पर्यावरण दिवस पर 'पर्यावरण अनुकूल दुनिया' शीर्षक से वार्षिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। यह छात्राओं को दैनिक जीवन में 3R's: Reduce, Re-Use और Re-Cycle के अभ्यास के लिए अवसर प्रदान करता है।

- महाविद्यालय दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के 'इको-क्लब' (पर्यावरण क्लब) का सदस्य भी है तथा दिल्ली सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित पर्यावरण मिलन में भाग लेता है।
- महाविद्यालय परिसर में सौर ऊर्जा यंत्र लगाया गया है।
- महाविद्यालय में सभी सूखी चीजों को 'एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना' के तीन आरओसी इकाईयों के साथ 'जैविक खाद' में परिवर्तित किया जाता है।
- वर्षा जल संचयन प्रणाली भी निकट भविष्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है।

पर्यावरण ब्रिगेड में शामिल होने वाली इच्छुक छात्राएँ डॉ. राज नांगिया और डॉ. नीता बरेजा से संपर्क कर सकती हैं।

नेसडल्फ (एन.ई.एस.डी.ए.एल.एफ)

नेसडल्फ (उत्तर-पूर्वी राज्य, दार्जिलिंग, लद्दाख सौर विदेशी छात्राओं की समिति) का एक साझा मंच है। सर्वप्रथम यह पूर्वोत्तर समाज के नाम से जाना जाता था। 2012 से यह नेसडल्फ के नाम से जाना जाता है, जिसमें पूर्वोत्तर भारत के अतिरिक्त विदेशी छात्राओं को भी शामिल किया गया है। समिति विभिन्न क्षेत्रों की विविध संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व और सदस्य छात्राओं के कल्याण से संबंध रखती है। अधिक जानकारी के लिए छात्राएँ श्री रामाथोट खांग्रीइवों, सुश्री थेमिचॉन वोलंग और आशिमा कंवर से सम्पर्क कर सकती हैं।

नेत्रहीन छात्राओं के लिए कार्यक्रम : नेत्रहीन छात्राओं के लिए कम्प्यूटर कौशल प्रशिक्षण आधारित मॉड्यूल में कैरियल उन्मुख पाठ्य कार्यक्रम की व्यवस्था है।

पूर्व छात्र संघ

महाविद्यालय का पूर्व छात्र संघ अपने उपयुक्त विश्वविद्यालयी विचार के साथ छात्र बल को दृढ़ता प्रदान करने में मदद करता है। सामान्यत: वे हर वर्ष मार्च में मिलन समारोह करते हैं।

महाविद्यालय पूर्व छात्र संघ, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के विभागों में व्याख्याताओं के अस्तित्व से बना है। इनमें से कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों, बैंकों, विद्यालयों आदि में काम करते हैं। उनमें से अधिकांश अपने व्यापार में लगे हुए हैं। प्रथम मिलन समारोह 25 मार्च 2006 को आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में छात्राएँ महाविद्यालय में बिताये अपने समय की यादों को साझा करती हैं। विशेष जानकारी के लिए छात्राएँ डॉ. लता शर्मा और अलका हरनेजा से संपर्क करें।

रोजगार कक्ष

महाविद्यालय के प्लेसमेंट सेल प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा साक्षात्कार की एकश्रृंखला के माध्यम से परिसर से ही नियुक्तियों की सुविधा प्रदान करता है। महाविद्यालय पूर्व छात्र संघ द्वारा अंतिम वर्ष की छात्राओं का डेटाबेस प्लेसमेंट डेस्क तैयार किया जाता है और कैरियर परामर्श व्याख्यान एवं व्यक्तिगत मार्गदर्शन से छात्राओं को दिशा-निर्देश प्रदान किया जाता है ताकि उन्हें नौकरी प्राप्त करने में सुविधा हो सके। संबंधित जानकारी के लिए छात्राएँ श्रीमती उज्जयिनी राय, श्रीमती ईशा चावला, डॉ. गुरनीत भाटिया से संपर्क कर सकती हैं।

आत्मरक्षा

महाविद्यालय दिल्ली पुलिस के सहयोग से महाविद्यालय परिसर में आत्मरक्षा प्रशिक्षण का आयोजन करता है। वर्तमान परिदृश्य में आत्मरक्षा की प्रासंगिकता और स्वयं एवं दूसरों की रक्षा करने के लिए छात्राओं को सक्षम तथा संवेदनशील बनाना जरूरी है।

महाविद्यालय शिकायत समिति

दिल्ली विश्वविद्यालय की सुप्रीम शिकायत समिति (एसीसी) के संरक्षण/तत्वावधान में महाविद्यालय शिकायत समिति (सीसीसी) का गठन किया गया है। यह समिति कहीं भी किसी भी प्रकार के उत्पीड़न जैसे लिंग पूर्वाग्रह और यौन उत्पीड़न आदि से मुक्त कर, सौहादर्य पूर्ण वातावरण का निर्माण करने और बनाए रखने के लिए काम करती है। यदि किसी भी छात्रा को किसी भी प्रकार के उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है तो वे तुरंत प्राचार्या/सीसीसी के पास शिकायत दर्ज करें। छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे कहीं भी स्वयं की रक्षा कर सकती हैं। छात्राएँ किसी भी प्रकार की शिकायत के संबंध में डॉ. मधु झा और डॉ. संतोषी कुमारी से संपर्क कर सकती हैं।

समान अवसर इकाई

इकाई नेत्रहीन, विकलांग और अल्पसंख्यक समूह के लोगों के अनुचित वातावरण, आर्थिक और सांस्कृतिक बाधाओं की समस्याओं को निष्क्रिय करने से संबंध रखता है। विकलांगता और अल्पसंख्यक बिना किसी अनुचित भेदभाव, पूर्वाग्रहों तथा इसके अन्य रूपों, एक सममूल्य पर समान अधिकार है। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा समान अवसर कक्ष की स्थापना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग व्यक्तियों (पी.डब्ल्यु.डी.) की तथा इनसे संबंधित अन्य जरूरी मुद्दे को हल करने के लिए 27 जून 2006 को की गई। जानकारी के लिए छात्राएँ डॉ. सुमन सोनकर दहिया से संपर्क कर सकती हैं।

सकारात्मक कार्यवाही समिति

सकारात्मक कार्यवाही समिति डॉ. सुमन सोनकर दहिया और डॉ. एम.पी. यादव के मार्ग दर्शन में आरक्षित वर्ग की छात्राओं के हितों और कल्याण के लिए कार्य करती है। अखिल भारतीय नेत्रहीन परिसंघ, दिल्ली द्वारा विकलांग और नेत्रहीन छात्राओं को नौ अलग तरीके की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती हैं। शारीरिक रूप से विकलांगों को तीस ब्रेल किताबें, रिकॉर्डेड ऑडियो कैसेट और ई-ग्रंथों की सीडी उपलब्ध कराई गई है। नेत्रहीन शिक्षकों और छात्राओं के लिए ब्रैल लिपि में महाविद्यालय निर्देशिका और पत्रिका उपलब्ध कराने का अनुमोदन किया गया है।

सामर्थ्यकारी इकाई

छात्राएँ विशेष जानकारी के लिए डॉ. सुमन सोनकर दहिया और डॉ. एम.पी. यादव से संपर्क कर सकती हैं।

महाविद्यालय पत्रिका

छात्राओं की पत्रिका 'ज्योति' वार्षिक पत्रिका है। यह छात्राओं को हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत और पंजाबी में रचनात्मक अभिव्यक्तियों को व्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम प्रदान करती है। प्रत्येक भाषा में सर्वोत्तम रचना को पुरस्कृत किया जाता है। मुख्य पृष्ठ के लिए भी आमतौर से एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। छात्राएँ इन प्रतियोगिताओं की जानकारी के लिए समय-समय पर सूचना पट को देखती रहीं। पत्रिका के लिए रचना पत्रिका समिति डॉ. निर्मल शाहिद और डॉ मीनू खनेजा के पास जमा की जा सकती हैं।

नियम और विनियम

रैगिंग निषेध और लैंगिक संवेदनशीलता

I. (1) किसी भी रूप में रैगिंग महाविद्यालय परिसर या दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी जगह, यहाँ तक कि सार्वजनिक परिवहन में भी पूर्णतया निषेध है।

(2) रैगिंग से संबंधित किसी भी व्यक्तिगत या सामूहिक कार्य या व्यवहार पर घोर अनुशासनहीनता के लिए विश्वविद्यालय के अध्यादेश XV(C) के तहत कार्यवाही की जाएगी।

(3) इस अध्यादेश का उद्देश्य रैगिंग के लिए आमतौर पर ऐसे कार्य, व्यवहार या आचरण से लगाया जाता है जो किसी वरिष्ठ छात्राओं की दमनात्मक शक्ति या स्थिति का, नये दाखिला प्राप्त छात्राओं पर या अन्य छात्राओं द्वारा जूनियर या सीनियर की भावना से किया जाता है। इसमें निम्न व्यक्तिगत या सामूहिक कार्य और अभ्यास शामिल हैं:

(क) शारीरिक हमले या खतरे और शारीरिक बल प्रयोग शामिल है।

(ख) महिला और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित छात्राओं की इज्जत, गरिमा और सम्मान का उल्लंघन।

(ग) छात्राओं के साथ उपहास और अनादर कर छेड़छाड़ करना तथा उनके आत्म सम्मान को प्रभावित करना।

(घ) मौखिक गाली-गलौज और आक्रामकता, अश्लील इशारे और अश्लील व्यवहार करना।

(4) यदि कोई छात्रा, जो दिल्ली विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की है या कर रही है, रैगिंग कार्य पर अभ्यास करते हुए अध्यादेश के तहत पायी जाती है, तब उस छात्रा की, अध्यादेश XV के तहत विश्वविद्यालय द्वारा उचित कार्यवाई करते हुए डिग्री निर्गत करने पर विचार किया जा सकता है।

(5) अध्यादेश XV के निहितार्थ रैगिंग के लिए उकसाने पर उन्हें रैगिंग का दंड दिया जा सकता है।

II. दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यादेश XV (D) के अन्तर्गत महाविद्यालय ने यौन-उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक समिति का गठन किया है।

III. महाविद्यालय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। इस अधिनियम के अनुसार छात्राएँ सीपीआईओ (मुख्य सार्वजनिक सूचना अधिकारी) डॉ. (श्रीमती) वीणा गौतम, सूचना अधिकारी डॉ. अनीता शर्मा और सह-जनसूचना अधिकारी सुश्री मोनिका कपूर से सूचनाएं प्राप्त कर सकती हैं।

अनुशासन

- सभी छात्राओं को महाविद्यालय में अनुशासन बनाए रखना होगा। विश्वविद्यालय अध्यादेश XV–C के तहत किसी भी छात्रा पर अनुशासन के किसी भी नियम के उल्लंघन के मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- महाविद्यालय में रैगिंग पूर्णत: निषेध है। किसी भी रूप में रैगिंग घोर अनुशासनहीनता माना जाएगा और विश्वविद्यालय अध्यादेश XV–C के तहत कार्यवाई की जाएगी। किसी भी रूप में महाविद्यालय की संस्थागत

संपत्ति का विनाश करना और जानबूझकर शैक्षणिक कार्य में व्यवधान करना, घोर कदाचार माना जाएगा और अध्यादेश XV–B के तहत कार्यवाही की जाएगी।

- अनुशासन और अनुशानात्मक कार्यवाही से संबंधित सभी शक्तियां कुलपति या उसके द्वारा मनोनित व्यक्ति में निहित है। कुलपति अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से आदेश देकर कर सकता है।

(क) किसी भी छात्रा या छात्राओं को निष्कासित कर सकता है। या

(ख) किसी भी छात्रा या छात्राओं को आदेश–अवधि के लिए प्रतिबंधित/निष्कासित कर सकता है। या

(ग) विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय, विभाग या संस्था के किसी भी पाठ्यक्रम या कोर्स में निर्धारित समय–काल के लिए दाखिला से वंचित कर सकता है। या

(घ) विशेष निर्देश के साथ कुछ रकम जुर्माना किया जा सकता है। या

(ङ) एक वर्ष या उससे अधिक वर्षों के लिए विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या विभागीय परीक्षा या परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। या

(च) छात्रा या छात्राओं के संबंधित परीक्षा परिणाम या वे जिस परीक्षा में शामिल हुए हैं, रद्द किया जा सकता है।

- प्रोक्टर और पुस्तकालय अध्यक्ष की सहायता से महाविद्यालय के प्राचार्य, संस्था के समुचित संचालन के लिए महाविद्यालय में छात्राओं के साथ अधिक से अधिक अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकारी है। विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रोक्टर की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुशासन के नियमों और उचित कार्यवाही को तुरंत लागू किया जा सकता है।
- महाविद्यालय परिसर में **होली** खेलना और **दीवाली** मनाना सख्त वर्जित है। इस नियम का उल्लंघन करने वाली दोषी छात्राओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

कुलानुशासन बोर्ड

कॉलेज में प्रोक्टोरियल बोर्ड का गठन किया गया है जो अनुशासन बनाये रखने का दायित्व संभालता है। छात्राओं से निम्नलिखित आचार संहिताओं का पालन करने की अपेक्षा की जाती हैं। इस संबंध में किसी भी कार्य हेतु डॉ. सुचेता चतुर्वेदी और सुश्री ऑचल से संपर्क करें।

आचार संहिता

- प्रत्येक दिन महाविद्यालय परिसर में पहचान–पत्र और पुस्तकालय–पत्र लाना अनिवार्य है।
- शांति क्षेत्र में शांति बनाए रखें।
- नियमित रूप से सभी व्याख्यान, ट्यूटोरियल और पाठ्येत्तर गतिविधियों में भाग लें।
- कक्षा में व्याख्यान के दौरान मोबाइल फोन बंद रखें और परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन ना लायें।
- शिक्षण कक्ष खाली करने से पहले लाइट और पंखें बंद कर दें।
- प्रत्येक दिन सूचना पट पढ़ें।

- खाली समय में पुस्तकालय, कॉमन रूम या कैंटीन का उपयोग करें ताकि किसी भी प्रकार से कक्षा डिस्टर्ब न हो।
- पुस्तकालय की पुस्तकों के पन्नों को न फाड़ें।
- बगीचे को बनाए रखने में महाविद्यालय अधिकारी की सहायता करें।
- अनौचित्य और दुर्व्यवहार के सभी मामलों की सूचना महाविद्यालय अधिकारी को अवश्य दें।
- आत्म अनुशासन का पालन करें।
- परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग न करें।

पुरस्कार

शैक्षणिक सत्र के अंत में आयोजित विश्वविद्यालय परीक्षा के शैक्षिक प्रदर्शन के आधार पर छात्राओं को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।

सेमेस्टर स्कीम में सभी स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए पदोन्नति नियम

उत्तीर्ण प्रतिशत और पदोन्नति का मापदंड

(क) जहाँ भी सेमेस्टर लागू है, एक सेमेस्टर में किसी भी प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए सिद्धांत में 40% और प्रयोग कार्य में 40% न्यूनतम अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

(ख) एक छात्रा को पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष में पदोन्नति के लिए उन्हें एक साथ प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर के प्रश्न पत्रों में 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए।

(ग) इसी तरह एक छात्रा (भाग–1 के परिणाम पर बिना विचार किए) को पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष में पदोन्नति के लिए, उन्हें एक साथ तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर के प्रश्न पत्रों में 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना होगा।

(घ) जो छात्राएँ उल्लिखित पदोन्नति के मानक (ख) और (ग) को पूरा नहीं करती हैं उन्हें संबंधित भाग में असफल घोषित कर दिया जाएगा।

(ङ) जो छात्राएं सेमेस्टर I/III/V के लिए पुनः परीक्षा में बैठना चाहती है वह केवल नवंबर/दिसंबर में आयोजित होने वाली सेमेस्टर परीक्षा में बैठ सकती हैं। जो छात्राएँ सेमेस्टर II/IV/VI के लिए पुनः परीक्षा में बैठना चाहती हैं तो वे केवल अप्रैल/मई में आयोजित होने वाली परीक्षा में बैठ सकती हैं।

लक्ष्मीबाई कॉलेज : दिल्ली
पिछले वर्ष की कटऑफ-2014-15

पाठ्यक्रम	सामान्य श्रेणी	अन्य पिछड़ा वग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पीडब्ल्यू डी
बी. ए. प्रोग्राम	72.75%	67%	67%	50%	67%
इतिहास (ऑनर्स)	74.75%	66-66.25%	64.67.75%	67-70.25%	64%
राजनीति विज्ञान (ऑनर्स)	82%	73-76.755%	73-74.25%	67%	67%
बी.एस.सी. गणित (ऑनर्स)	88%	83%	70%	60%	60%
हिन्दी (ऑनर्स)	68.70%	62.5%	66-68%	50%	63%
अंग्रेजी (ऑनर्स)	89.75% विज्ञान विषय छात्र 87.75% मानविकी विषय छात्र 70% इलेक्टिव इंगलिश	84% विज्ञान विषय छात्र — 82% मानविकी विषय छात्र समूह — 63% इलेक्टिव इंगलिश	73%	77%	74%
दर्शनशास्त्र (ऑनर्स)	69%	69%	60%	60%	53%
संस्कृत (ऑनर्स)	50%	50%	45%	45%	45%
अर्थशास्त्र (ऑनर्स)	93%	79%	63%	43.5%	43.5%
बी.कॉम (ऑनर्स)	94%	78%	67%	67%	78%
बी.कॉम	85.50-85.75%	83%	70%	60%	60%

शिक्षकगण सूची

- **प्राचार्या** (कार्यकारी) **डॉ. (श्रीमती) वीणा गौतम** एम.ए., पी.एचडी, डी.लिट.

वाणिज्य विभाग

- डॉ. राज नांगिया – एम.कॉम., एम.फिल. (दिल्ली), पीएच.डी. (मेरठ)
- डॉ. अनीता गोयल – एम.कॉम., एम.फिल., पीएच.डी. (दिल्ली)
- डॉ. लता शर्मा – एम.कॉम., एम.फिल. (दिल्ली) पीएच.डी. (आगरा)
- डॉ. मधु अग्रवाल – एम.कॉम., एम.फिल., पीएच.डी. (दिल्ली)
- डॉ. नीता बरेजा – एम. कॉम., एम.फिल., (दिल्ली) पीएच.डी.
- डॉ. अलका हरनेजा – एम.कॉम., पीएच.डी. (दिल्ली)
- डॉ. वनिता अग्रवाल – एम.ए. (इको), पीएच.डी. (दिल्ली)
- डॉ. पूर्णिमा सुनील तलवार – एम. कॉम. एम.फिल., पीएच.डी (दिल्ली)
- डॉ. गायत्री – एम.कॉम, एम.फिल, पीएच.डी (दिल्ली)
- डॉ. सुषमा अग्रवाल – एम.कॉम., एम.फिल., पीएच.डी. (दिल्ली)
- श्रीमती सारिका भटनागर – एम.कॉम, एम.फिल. (दिल्ली)
- श्रीमती विभा गुप्ता – एम.कॉम. एम.फिल (दिल्ली),
- डॉ. टी. के. जानकी – एम.कॉम. (मदुरई) पीएच.डी. (त्रिचुरापल्ली) **विभागाध्यक्ष**
- श्रीमती रुचि आहूजा – एम.कॉम., एम.फिल. (दिल्ली)
- श्रीमती ए. प्रोशेल्वी – एम.कॉम . एम.फिल. (तमिलनाडु), बी.एड. (मद्रास), पी.जी.डी.सी.ए. (तमिलनाडु)
- डॉ. सुचेता गॉबा – एम.कॉम. एम.फिल. (दिल्ली) पीएच.डी.
- श्रीमती हेमलता – एम.कॉम. (दिल्ली), एम.फिल (एम.के.यू.)
- श्रीमती तेजविन्दर कौर – एम.कॉम. एम.बी.स. (फाइनेंस, के.यू.)
- सुश्री अंकिता – एम.कॉम. एम.फिल.
- सुश्री अमिता मल्होत्रा – एम.कॉम. एम.फिल.
- डॉ. मीनू – एम.कॉम, एम.फिल., पीएच.डी.

अर्थशास्त्र विभाग

- श्रीमती संतोष अग्रवाल – एम.ए. (दिल्ली)
- श्रीमती ईशा चावला – एम.ए., एम.फिल. (दिल्ली)
- श्रीमती रितु सूरी – एम.ए. एम.फिल. (दिल्ली)
- डॉ. सुमन सोनकर दहिया – एम.ए. (इलाहाबाद), एम.फिल., पी.एच.डी. (जे.एन.यू.)
- सुश्री शुभम् चौधरी – एम.ए.

- श्रीमती उज्जयिनी राय – एम.ए. एम.फिल.
- सुश्री सोनिका सिंघी – एम.ए., **विभागाध्यक्ष**
- श्रीमती उमा – एम.ए. एम.फिल. (जे.एन.यू.) बी.बी.ई. पाठ्यक्रम समन्वयक

अंग्रेजी विभाग

- डॉ. सुचेता चतुर्वेदी – एम.ए., एम.फिल., पी.एच.डी. (दिल्ली)
- श्रीमती रुचि मुन्डेजा – एम.ए., एम.फिल. (दिल्ली)
- श्रीमती दीवा जफ़िर – एम.ए., एम.फिल. (दिल्ली),
- डॉ. महावीर प्रसाद यादव – एम.ए. (चंडीगढ़), एम.एड. (एम.डी.यू.), एम.फिल., पीएच.डी. (नान्डेड)
- सुश्री आशिमा कंवर – एम.ए., एम.फिल. (दिल्ली)
- श्रीमती अंजू दहिया – एम. ए. (चंडीगढ़) एम.फिल. (के.यू.) **विभागाध्यक्ष**

गृह विज्ञान विभाग (खाद्य प्रौद्योगिकी एवं परिधान डिज़ाइन रचना)

- डॉ. अनीता मल्होत्रा – एम.एस.सी., पीएच.डी. (दिल्ली) **विभागाध्यक्ष**
- डॉ. सबरीना सरिन – एम. एस. सी., पीएच.डी. (दिल्ली)

हिन्दी विभाग

- डॉ. वीणा गौतम – एम.ए., पीएच.डी. (दिल्ली), डी.लिट.
- डॉ. स्नेहलता अरोड़ा – एम.ए., पीएच.डी. (दिल्ली)
- डॉ. मीनू खनेजा – एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. (दिल्ली)
- डॉ. रश्मि गुप्ता – एम.ए. (कुमायूँ), पीएच.डी. (बनारस)
- डॉ. रनजीत कौर – एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. (दिल्ली)
- डॉ. नीलम – एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. (जे.एन.यू.), **विभागाध्यक्ष**
- डॉ. मनीषा शंखवार – एम.ए., एम.फिल., डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन एण्ड एडिटिंग आर्ट, पीएच.डी. (दिल्ली)
- श्रीमती अंशू सिंह झारवाल – एम.ए. (राजस्थान), एम.फिल. (दिल्ली)
- डॉ. कमलेश लाल – एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. (दिल्ली)
- श्रीमती प्रमिला – एम.ए., एम.फिल. (दिल्ली)

इतिहास विभाग

- सुश्री गीता आर्या – एम.ए., एम.फिल., सार्टिफिकेट इन परसियन (दिल्ली)
- डॉ. वृष्टि कनौजिया – एम.ए. पीएच.डी. (इलाहाबाद)
- श्रीमती गीतांजलि डे – एम.ए., एम.फिल. (दिल्ली)
- डॉ. एल.आर.एस. लक्ष्मी – एम.ए., पी.एच.डी. (लंदन)
- श्री रामाथोट खांग्रीवो – एम.ए., एम.फिल. (दिल्ली), **विभागाध्यक्ष**

- डॉ. संतोषी कुमारी – एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. (जे.एन.यू.), डिप्लोमा इन मासकॉम
- श्रीमती गोबीना – एम.ए., एम.फिल., (दिल्ली)
- डॉ. ललिता कुमार – एम.ए. पीएच.डी. (पटना वि.वि.) कथक नृत्य (इलाहाबाद प्रयाग संगीत समिति)
- सुश्री तृप्ति – एम.ए., एम.फिल. (जे.एन.यू.)

गणित विभाग

- डॉ. बीना गुप्ता – एम.ए., पीएच.डी. (दिल्ली)
- डॉ. बीना राजेन्द्र गुप्ता – एम.ए., पीएच.डी., डिप्लोमा इन जापानी (दिल्ली)
- सुश्री चित्रा शर्मा – एम.एस.सी., एम.फिल. (दिल्ली), **विभागाध्यक्ष**
- डॉ. सुधा गुप्ता – एम.ए., पीएच.डी. (दिल्ली)
- सुश्री अनु छाबड़ा – एम.एस.सी., एम.फिल. (दिल्ली)
- सुश्री लक्ष्मी – एम.एस.सी., एम.फिल. (दिल्ली)
- सुश्री पूनम सरोहे – एम.ए.सी., एम.फिल. (दिल्ली)
- श्रीमती अनु जैन – एम.ए., एम.फिल. (दिल्ली)
- सुश्री पूनम झारवाल – एम.एस.सी.
- डॉ. तलत सुल्ताना – एम.एस.सी., पी.एच.डी. (जामिया)
- डॉ. गुनीत भाटिया – एम.एस.सी., पी.एच.डी. (दिल्ली)
- डॉ. निशा गुप्ता – एम.फिल, पी.एच.डी. (दिल्ली)

संगीत विभाग

- डॉ. कृष्णा चौधरी – एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. (दिल्ली), **विभागाध्यक्ष**
- डॉ. रेणु जैन – एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. (दिल्ली)

दर्शनशास्त्र विभाग

- डॉ. जया रे – एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. (दिल्ली), **विभागाध्यक्ष**
- डॉ. मिनी झा मिश्रा – एम.ए., एम.फिल., पी.एच.डी. (दिल्ली)
- श्रीमती राजश्री राय – एम.ए., (शिलांग)
- डॉ. मांसी गुप्ता – एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. (दिल्ली)

शारीरिक शिक्षा विभाग

- डॉ. सुनीता अरोड़ा – एम.ए., फिजिकल एजूकेशन (जीवाजी), पी.एच.डी. (दिल्ली)
- लेफ्टिनेंट(डॉ.) सीमा कौशिक – एम.पी.ई. (जीवाजी), पीएच.डी. (दिल्ली), **विभागाध्यक्ष**

राजनीतिशास्त्र विभाग

- श्रीमती निर्मल कान्ता – एम.ए., डिप्लोमा इन जापानी, सार्टिफिकेट इन फ्रैंच (दिल्ली)
- श्रीमती रश्मि कश्यप – एम.ए., एम.फिल., (दिल्ली)
- डॉ. रेखा कौल – एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. (दिल्ली)
- डॉ. स्वतंत्र के. प्रधान – एम.ए. (जम्मू), एम.फिल., पीएच.डी. (जे.एन.यू.)
- डॉ. गीता सहारे – एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. (दिल्ली)
- डॉ. मधु झा – एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. (दिल्ली)
- डॉ. जूही सिंह – एम.ए., एम.फिल. (दिल्ली), पी.एच.डी. (मनिपाल)
- डॉ. रितु गोयल – एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. (दिल्ली)
- डॉ. बबिता वर्मा – एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. (दिल्ली)
- डॉ. सोनिया डबास – एम.ए., एम.फिल. (कुरूक्षेत्र), पी.एच.डी., बी.एड. (दिल्ली), **विभागाध्यक्ष**
- श्रीमती थेमीचॉन वोलंग – एम.ए. (मणिपुर), एम.फिल. (दिल्ली), **विभागाध्यक्ष**
- श्रीमती रश्मिता बेहरा – एम.ए., एम.फिल. (जे.एन.यू.)
- डॉ. पिंकी मौर्या – एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. (जे.एन.यू.)
- श्रीमती सीमा सिंह – एम.ए., एम.फिल. (दिल्ली)
- डॉ. अम्बुज त्रिपाठी – एम.ए., एम.फिल., (दिल्ली) पीएच.डी.
- श्रीमती प्रीती चौहान – एम.ए., एम.फिल. (दिल्ली)
- डॉ. संगीता शर्मा – एम.ए., एम.फिल. (दिल्ली), पीएच.डी. (मेरठ), एम.ए. (पब्लिक एड.), (शिमला) सर्टिफिकेट इन चाइनीज, पी.जी. डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन इंगलिश, हिन्दी (दिल्ली)
- डॉ. अमृता शिल्पी – एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. (जे.एन.यू.)
- श्रीमती आंचल – एम.ए., एम.फिल., (दिल्ली)

पंजाबी विभाग

- डॉ. निर्मल शाहिद – एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. (दिल्ली) **विभागाध्यक्ष**

संस्कृत विभाग

- डॉ. अनीता शर्मा – एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. (दिल्ली)
- डॉ. डोलामणि आर्या – एम.ए. (दिल्ली), पीएच.डी. (दिल्ली), **विभागाध्यक्ष**

समाजशास्त्र विभाग

- अभी नियुक्ति होनी है –

प्रशासनिक कर्मचारी

प्राचार्या कार्यालय

- श्रीमती मोनिका कपूर – प्रशासनिक अधिकारी

प्रशासन

- श्री प्रेमकांत – अनुभाग अधिकारी
- श्री रविन्दर कुमार – सीनियर असिस्टेंट
- श्री ध्रुवपाल – असिस्टेंट
- सुश्री निशा – जू. असिस्टेंट
- श्री नरेन्द्र कुमार – जू. असिस्टेंट
- श्री शशिकांत – मशीन मैन
- श्री राम कुमार – केयर टेकर
- श्री विजय कुमार – एमटीएस
- श्री हिमांशु राही – एमटीएस
- श्री देवेश – एमटीएस
- गीता आर सिंह – एमटीएस

लेखा प्रभाग

- श्री शैलेन्द्र पाल भाटिया – अनुभाग अधिकारी
- कुमारी लाजवंती – असिस्टेंट (कैशियर) तथा सीनियर एसिस्टेंट (कार्यकारी)
- श्री मनोज कुमार – असिस्टेंट
- श्री किशन कुमार – जू. असिस्टेंट तथा असिस्टेंट (कार्यकारी)
- श्रीमती एमरेनसिया – एमटीएस

पुस्तकालय

- श्री लाल मोहम्मद – प्रोफेशनल असिस्टेंट (कार्यकारी पुस्तकालयाध्यक्ष)
- श्री प्रेमदत्त ममगेन – सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट
- श्री भुवनेश्वर शर्मा – सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट
- श्री संजीव कुमार – सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट

घोषणा

यद्यपि इस विवरणिका की सामाग्री की प्रमाणिकता की पुष्टि पर पूर्ण ध्यान दिया गया है परन्तु यहाँ निहित सामाग्री केवल सांकेतिक है इसका कानूनी प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। दी गई सूचना का संबंध केवल लक्ष्मीबाई महाविद्यालय द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम से है। विस्तृत जानकारी के लिए आवेदकों को दिल्ली विश्वविद्यालय के सूचना बुलेटिन का उल्लेख करने की सलाह दी जाती है या दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन छात्र कल्याण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की विधियों, अध्यादेशों, विनियमों और नियमों में निहित जानकारी ही अंतिम रूप से मान्य होगी। किसी भी प्रकार के परिवर्तन और स्पष्टीकरण के लिए छात्राओं को महाविद्यालय की बेबसाइट www.lbc.du.ac.in और सूचना पट को देखने की सलाह दी जाती है।

Disclaimer

Though care has been taken to verify the authenticity of the contents of this Prospectus, the data contained herein is only indicative and must not be used for legal purposes. The information given pertains only to the courses offered by Lakshmibai College. For detailed information, the applicants are advised to refer to the Delhi University Information Bulletin or may contact the office of the Dean, Students' Welfare, University of Delhi. The information contained— in the relevant Rules, Regulations, Ordinances and Statutes of the University of Delhi—will be final. For any further changes and clarifications, students are advised to check the College website.lbc.du.ac.in and notice board.